
# HRA Sazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 267 ] No. 267] मई दिल्ली, मंगलबार, जून 1, 1999/ज्येष्ठ 11, 1921 NEW DELHI, TUESDAY JUNE 1, 1999/JYAISTHA 11, 1921

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1999

मा.का.नि. 398(अ).— . . केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज ्रविनियमन और विकासं्र अधिनियम 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रेनाइट संसाधनों के संरक्षण, सुव्यवस्थित विकास और वैज्ञानिक खनन तथा देश भर में ग्रेनाइट के व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विदोहन के संबंध में एक स्वरूप ढांचा विहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

अध्याय - ।

#### प्रारंभिक

- । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ '~ ≬।∳ इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियम, 1999 है ।
- ∮2∮ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

- 2. लागू होना ये नियम ग्रेनाइट के पूर्वक्षण और खदान पर लागू होंगे ।
- परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, '-
- ∮क∮ "अधिनियम" से खान और खनिज ∮िवनियमन और विकास∮ अधिनियम, 1957 ∮1957 का 67∮ अभिप्रेत है,
- ∮ख∮ "अभिकर्ता" से किसी खदान के संबंध में प्रयुक्त होने पर, कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं, अभिप्रेत हैं, जो खदान या उसके किसी भाग की बाबत् खदान स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है,
- ≬ग्∮ 'यिकास'' से खनन की तैयारी के रूप में मिट्टी अधिभार या अनुर्वर या अपशिष्ट सामग्री का हटाया जाना अभिप्रेत है,
- ∮ष्र्ं 'क्रिलिंग" से भूवैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने के लिए और उसमें से नमूने लेने के लिए जलोढ़ सामग्री, जिलाओं या अन्य संरचनाओं में विवर बनाना अभिप्रेत है,
- ≬ड.∮ "पर्यावरण" और "पर्यावरण प्रदूषण" के बही अर्थ होंगे जो पर्यावरण ≬संरक्षण्∮ अधिनियम, 1986 ∮1986 का 29∮ में हैं,
- (च) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है,
- ्राष्ट्रं "भूविज्ञानी" से इन नियमों के अधीन किसी भूविज्ञानी के कार्यों का निर्वाह करने के लिए पूर्विक्षण लाइसेंसी खान स्वामी या अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
- ≬ज्रं ग्रेनाइट का अभिप्राय डोलीराइट, ग्रेनाइट गिनिसिस, मिग्माटाइट्स, गेब्रोस, एनोरथोसाइट्स, रायोलाइट्स, सायनाइट्स, लेप्टिनाइट्स, कारनोविटस और अन्य कोई आग्नेय और आर्थी-मैटामॉरिफिक क्रैल के प्रकार से है जो :-
- ∮। ∮ आयामी पत्थर के रूप में ढल्नीय हो ।
- ∮।।∮ परिष्करण योग्य और
- ∮।।। । व्यवसायिक रूप से विदोहन करने योग्य है।
- ्रैंझ∮ "पट्टा" का अभिप्राय ग्रेनाइट के लिए खनन और खदान संक्रिया के लिए दिया गया पट्टा है।
- ृंभं "प्रबंधक" से, जब वह किसी खान या खदान के संबंध में प्रयुक्त हुआ हो, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्वामी या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत स्वामी या अभिकर्ता भी उस दशा में शामिल है, जब उसने स्वयं को, खान अधिनियम, 1952 ∮1952 का 35∮ की धारा 17 के अधीन, ऐसा प्रबंधक नियुक्त किया हो,
- ≬ट्र थें 'खानन इंजीनियर' से इन नियमों के अधीन किसी खनन इंजीनियर के कार्यों का निर्वाह करने के लिए खान स्वामी या अधिकर्ता द्वारा लिखित रूप में नियुक्त व्यक्ति अधिप्रेत है,
- ≬ठ∮ "पूर्वेक्षण-स्थल" का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां ग्रेनाइट की उपस्थिति प्रमाणित की। जा चुकी है ।
- ∮ड∮ "पूर्वेक्षण लाइसेंस" का अभिप्राय ऐसे लाइसेंस से है, जो ग्रेनाइट निक्षेपों के गवेषण, स्थान और प्रमाणन के लिए किए जाने वाली क्रिया के लिए दिया गया है ।
- र्षेढ्रं "खदान" का अभिप्राय खान अधिनियम, 1952 र्रे1952 का 35र्र् में यथा परिभाषित ओपन कास्ट कार्यचालन है ।

- ≬ण्रं "मान्यता प्राप्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसे खनन योजना तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो,
- ∮तं∮ "शीट रॉक" का अभिप्राय विशाल ग्रेनाइट पिण्ड है जिनमें बाउल्डर्स शामिल नहीं है ।
- थ्रंथं "वर्ष" से पहली अप्रैल को प्रारंभ होने वाली और अगले वर्ष की इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,
- ﴿2﴾ ऐसे उन सभी शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय - 2

# ग्रेनाइट का पूर्वक्षण और खनन

# खनन संक्रियाओं से पहले पूर्विक्षण

राज्य सरकार द्वारा तब तक कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा जब तक वह संतुष्ट न हो जाए कि वह क्षेत्र जिसके पट्टे के लिए आबेदन किया गया है, में ग्रेनाइट के लिए पहले पूर्वेक्षण किए जाने के प्रमाण है या अन्यथा उसमें ग्रेनाइट का पाया जाना सुनिश्चित हो गया है।

- 5. पूर्विक्षण लाइसेंस अथवा उसके नवीकरण की अविध : एक पूर्विक्षण लाइसेंस की अविध दो साल से अधिक नहीं होगी ।
- पट्टे अथवा उसके नवीकरण की अविधि
  - ў। ў पट्टे की अधिकतम अविध तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी, परन्तु किसी ऐसे पट्टे की अविध बीस वर्ष से कम नहीं होगी ।
  - ∮2∮ एक पट्टे का 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा ।
  - 3∮ उप धारा ∮2∮ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ग्रेनाइट के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक दशा में पट्टे के नवीकरण को 20 वर्षों से अनिधक और अविध या अविधयों के लिए उन कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, प्राधिकृत कर संकेगी।
- 7. खनन पट्टे के लिए न्यूनसम और अधिकतम क्षेत्र
  - Ў। Ў अधिकतम गहराई तक खनन कार्यकलापों को सुनिष्चित करने के लिए एक पट्टे के अधीन दिए जाने अथवा नवीकृत किए जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर से कम नहीं होगा ।

(12) एक खनन पट्टे के अधीन दिए जाने वाला अधिकतम क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा ।

परन्तु यदि राज्य सरकार प्रस्तावित उत्पादन स्तर, भू-वैज्ञानिक अथवा भू-चित्रण परिस्थितियों के आधार पर संतुष्ट हो तो, वह कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करते हुए इस नियम के अधीन निर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्र से अधिक अथवा न्यूनतम क्षेत्र से कम के पट्टे को प्रदान या उसका नदीकरण कर संकेगी।

#### अध्याय - 3

# पूर्वेक्षण संक्रियाएं

- 8. पूर्वक्षण स्कीम ११ ग्रेगाइट की किसी पूर्वक्षण अनुझप्ति का प्रत्येक धारक, राज्य सरकार अथवा इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को पूर्वक्षण अनुझप्ति के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर एक पूर्वक्षण स्कीम रेलीरिति में उपदर्शित करते हुए प्रस्तुत करेगा जिससे वह अनुझप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पूर्वक्षण स्कियाएं करने की प्रस्थापना करता है और स्कीम में निम्नितिखित सम्मितित होगा, अर्थात :-
- को क्षेत्र की विशिष्टियां,
- ∮ख∮ रेखांक का मापमान और भू-वैज्ञानिक मानिचत्रण क्षेत्र,
- वृंगं व्यक्तों, खाइयों और बोर छिद्रों की संख्या जिन्हें वह क्षेत्र में खोदने की प्रस्थापना करता है और उनकी अवस्थिति,
- 🉀 प्रयोग की जाने वाली मशीनों की विशिष्टियां,
- 🚺 इ. 📗 शुरू किए जाने वाले खोज विषयक खनन के स्योर
- चें ऐसे नमूनों की संख्या जिनके लिए जाने या विश्लेषण किए जाने की प्रस्थापना है,
- ∮छ∮ पूर्वेक्षण संक्रियाएं आरंभ करने से पहले विद्यमान पर्यावरणात्मक परिस्थितियों की आधारभूत जानकारी,
- पूर्वक्षण स्कीम के तैयार किए जाने के लिए सुसंगत कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार या समय-समय पर साधारण या विश्रेष आदेश द्वारा इस प्रांकार प्राधिकृतकोई व्यक्ति निर्दिष्ट करें ।
- 12 र्षे उपनियम ११ के अधीन पूर्वेक्षण स्कीम, किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अथवा नियम 38 के उपनियम ११ के खण्ड १क के अधीन नियोजित किसी भूविज्ञानी या खनन इंजीनियर द्वारा तैयार की जाएगी।
- 9. पूर्वेक्षण स्कीम का उपांतरण :- ∮ा∯ नियम 8 के अधीन तैयार और प्रस्तुत की गई पूर्वेक्षण स्कीम, किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के चालू रहने के वौरान भूवेज्ञानिक आधार पर किसी समय उपांतरितकी जा संकेगी ।
- ﴿2﴾ उपनियम ﴿1﴾ के अधीन किया गया कोई उपतिरण पूर्विक्षण अनुश्रिष्ति के धारक द्वारा पन्द्रह दिन की अविधि के भीतर राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को स्थित किया जाएगा ।

- 10. पूर्विक्षण सिक्रिया को पूर्विक्षण स्कीम के अनुसार चलाया जाना :- ब्रेनाइट की पूर्विक्षण अनुक्रप्ति का प्रत्येक धारक पूर्विक्षण सिक्रयाओं को नियम 8 के अधीन प्रस्तुत की वई पूर्विक्षण स्कीम के अनुसार या ऐसे उपातरणों सिक्षत, यदि कोई हो, चलाएगा जो नियम 9 के अधीन सूचित किए जाएं या जो राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।
- 11. पूर्वेक्षण सिंक्रियाओं की रिपोर्ट ﴿ I ﴿ ग्रेनाइट की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक भारक राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और महानियंत्रक, भारतीय खान क्यूरो को प्ररूप के में पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा, जिससे वह 30 अप्रैल तक उनके पास पहुंच जाए 1

परन्तु फार्म क में दी गई रिपोर्ट पूर्वेक्षण सिक्रमाओं के परित्यान के पूरा होने या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति, जो भी पहले हो, के पश्चात् तीन महीनों की अवधि के भीसर प्रस्तुत की जाएनी ।

﴿2﴿ जहां ग्रेनाइट के लिए पूर्विक्षण संक्रियाएं, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ﴿1﴾ के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा किसी पूर्विक्षण अनुज्ञप्ति के बिना चलाई जाती हैं वहां ऐसा प्राधिकारी प्रत्येक क्षेत्र की बाबत, जहां ग्रेनाइट के लिए पूर्विक्षण संक्रियाएं उनके द्वारा प्रारंभ की गई हैं, प्ररूप "क" में वार्षिक रिपोर्ट, राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु यह उपनियम ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जिसमें क्षेत्र संक्रियाओं में केवल भूवैज्ञानिक मानिषत्रण अथवा भूभौतिकीय या भूरासायनिक अन्येषण सम्मिलित हैं।

#### अध्याय - 4

#### खनन योजना

- 12. पट्टा देने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में खनन योजना राज्य सरकार द्वारा तबतक कोई भी पट्टा नहीं दिया या नवीकृत नहीं किया जाएगा जबतक कि खनन योजना संबद्ध क्षेत्र में ग्रेनाइट मंहार के विकास के लिए राज्य सरकार या द्वस निमित उस राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्बद्ध रूप से अनुमोदित न हो।
- 13. किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा खनन योजना तैयार करना :- ∮ा∮ कोई भी खनन योजना अनुमोदित नहीं की जाएगी यदि वह इस निमित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अर्दित व्यक्ति या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या खनिज रिसीमत नियम, 1960 के नियम 22-ख के अधीन किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार न की गई हो ।

‡2 र्म राज्य सरकार द्वारा या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उपनियम ्रां र्म के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी यदि उसके पास निम्तिसिखत न हो :-

ा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956(1956 की सं0 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956(1956 की सं0 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या खनन इंजीनियरी की डिग्री या उसके समकक्ष कोई अर्हता ; तथा

हैं। ं∮ खंड ∮ं∮ के अधीन अपेक्षित डिग्री या अहता प्राप्त करने के पश्चात् खनन या खिनज प्रशासन के क्षेत्र में पर्यवेक्षक की हैसियत से काम करने का पांच वर्ष का यदिक्क अनुभव ।

- 14. राज्य सरकार द्वारा मान्यता देना ∮।∮ नियम 13 के उपनियम ∮2∮ के अधीन अपेक्षित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति मान्यता के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा ।
- १2 सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता देने से इंकार कर सकेगा तथा जहां मान्यता देने से इंकार किया जाएगा वहां सक्षम प्राधिकारी लेखाबद्ध करेगा तथा उन्हें आवेदक को संसूचित करेगा ।
- [3] प्रारम्भ में दस वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी तथा उसे एक बार में 10 वर्ष तक की और अवधियों के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि सक्षम अधिकारी, संबंद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अक्सर देने के बाद लिखित में कारण बताते हुए, मान्यता के नवीकरण के लिए इंकार कर सकेगा ।

15. खनन योजना का अनुमोदन तथा उसे प्रस्तुत करना :-

ग्रेनाइट के लिए खनन संक्रियाएं शुरू करने के लिए खनन पट्टा देने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित क्षेत्र देने के बारे में विनिश्च करेगी तथा ऐसे विनिश्च के बारे में आवेदक को संसूचित करेगी तथा दिये जाने वाले निर्धारित क्षेत्र के बारे में राज्य सरकार से संसूचना प्राप्त होने पर्आवेदक उस तारीख से जिसको ऐसी संसूचना प्राप्त होती है के तीन मास की अविध या ऐसी अन्य अविध जो अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर खनन योजना प्रस्तुत करेगा तथा उक्त खनन योजना में निम्नलिखित निहित होगा:-

्रीं में ग्रेनाइट निक्षेप की प्रकृति तथा सीमा, वे स्थल जहां प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना है तथा उनकी सीमा, आवेदक द्वारा एकत्र पूर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर उत्खनन स्थलों के बारे में विस्तृत योजना ; पट्टे के प्रथम पांच वर्षों के दौरान खनन की संभावी योजना दर्शाते हुए निर्धारित क्षेत्र की योजना ;

≬i (∮ क्षेत्र के ग्रेनाइट निक्षेपों सहित निर्धारित क्षेत्र का भूविज्ञान तथा अश्मविज्ञान ≬लिथोलोजी≬ गत स्योरा ;

≬iii∮ निर्धारित क्षेत्र पर मशीन तथा मशीनी उपकरणों के प्रयोग द्वारा खनन या हस्तचालित खनन की सीमा :

प्रें। प्राकृतिक जल मार्ग, आरक्षित तथा अन्य वन्य क्षेत्रों की सीमा तथा वृक्षों की समनता दर्शाने वाला, वायु तथा जल प्रदूषण सिंदत बन भूसतह तथा पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव का आकलन, यदि कोई हो ; वनारोपण द्वारा क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए योजना का ब्यौरा, भू-सूधार, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य उपाय जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों को दर्शाते हुए निधीरित क्षेत्र की योजना ;

≬v∮ निर्धारित क्षेत्र पर उत्खनन के लिए पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम ;

≬∨ i ∮ अन्य कोई जानकारी जो राज्य सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदक से खनन योजना प्रस्तुत करते समय मांगी जाए ।

#### अध्याय - 5

# रवनन प्रक्रिया

16. खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए पूर्व-अपेक्षा के रूप में खनन योजना :-

ाँ। कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अधीन अनुमोदित खनन योजना को छोड़कर, किसी क्षेत्र में ग्रेनाइट के लिए खनन प्रचालन प्रारंभ नहीं कर सकेगा ;

\$2 राज्य सरकार या इस निमित उस राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाधारी से खनन योजना में, उप नियम \$1 के निर्दिष्ट ऐसे उपान्तरण को समाहित करने के बारे में, लिखित में, कहा जा सकता है या ऐसी शर्ते लगाई जा सकती हैं जो आवश्यक समझी जाएं, यदि ऐसे उपांतरण करना या शर्ती का अधिरोपण प्रौद्योगिकीय विकास में परिवर्तन को देखते हुए या खनन योजना के सिक्रया के अनुभव को देखते हुए आवश्यक समझे जाते हैं ।

≬3∮ सुरक्षित तथा वैज्ञानिक खनन, ग्रेनाइट के संरक्षण या पर्यावरण के संरक्षण को देखते हुए अनुभोदित खनन योजना में शीघ्रगामी समझे जाने वाले उपान्तरण को समाहित करने का इच्छुक कोई पट्टाधारी आश्रयित उपांतरण प्रस्तुत करते हुए तथा उनके लिए कारण बताते हुए राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सम्मुख आवेदन करेगा ।

्रा १४। राज्य सरकार। इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्रधिकृत कोई व्यक्ति उपनियम ∫3। के अधीन उपातरणों को अनुमोदित कर सकेगा या ऐसे परिवर्तनों सहित जो शीम्रगामी समझे जाएं, उन्हें अनुमोदित कर सकेगा ।

17. विद्यमान पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली खनन योजना :-

↓1 जहां अनुमोदित खनन योजना के बिना तथा इन नियमों के लागू होने से
पहले ग्रेनाइट के लिए खनन संक्रियाएं शुरू की गई हैं, ऐसा पट्टाधारी इन नियमों के
लागू होने की तारीख से, एक वर्ष की अविध के भीतर, एक खनन योजना राज्य
सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुमोदन के लिए
प्रस्तुत करेगा ।

≬2∮ यदि कोई पट्टाधारी, अपने नियंत्रण से बाहर कारणों के चलते, विनिर्दिष्ट समयाविध में खनन योजना प्रस्तुत नहीं कर सका है तो वह राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, कारण बताकर, समय बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

[3] राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, उपनियम \$2 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर तथा सन्तुष्ट होने की स्थिति में, खनन योजना प्रस्तुत करने की अविध को बढ़ा सकेगा जीकि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । [भाग ∏—खण्ड 3(i)]

- ﴿ ४० राज्य सरकार या इस निमित उस राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उपनियम ﴿ १० के अधीन पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत खनन योजना को अनुमोदित कर सकेण या खनन योजना में किये जाने वाले उपांतरणों के बारे में कह सकेण तथा पट्टेदार ऐसे उपांतरण करेगा तथा उपांतरित खनन योजना व्रथास्थिति राज्य सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (5) राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति खनन योजना या उपांतरित खनन योजना की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की अविध के भीतर आवेदक को अपनी मंजूरी या नामंजूरी के बारे में सूचित करेगा तथा नामंजूरी की दशा में वह उक्त खनन योजना या उपांतरित खनन योजना को नामंजूर करने के कारणों को भी सूचित करेगा।
- (6) यदि उपनियम (5) के अधीन वर्णित अवधि के भीतर खनन योजना या उपांतरित खनन योजना, जैसी भी स्थिति हो, पर कोई विनिश्चय नहीं सूचित किया जाता तो इसे अनिन्तम तौर पर मंजूर समझा जाएगा तथा ऐसी मंजूरी अंतिम विनिश्चय जब भी संसूचित हो, के अधीन रहते हुए होगी ।
- (7) उपनियम(1) के अधीन प्रस्तुत खनन योजना, मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी।
  18. खनन योजना का पुनर्विलोकन (1) इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से मंजूर प्रत्येक खनन योजना पट्टे की पूरी अवधि के लिए वैध होगी।
- (2) प्रत्येक खान या खदान का स्वामी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर या प्रबंधक, उपनियम(1) के अधीन, यथा विहित खनन योजना का पुनर्विलोकन करेगा तथा पट्टे के अगले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार या, इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को खनन स्कीम मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (3) खनन की स्कीम पांच वर्ष की अवधि जिसके लिए पिछली बार इसे मंजूर किया गया था, की समाप्ति से कम से कम 120 दिन पहले राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) राज्य सरकार या, इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति खनन स्कीम के प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी मंजूरी या नामंजूरी सूचित करेगा ।
- (5) यदि निर्धारित अवधि के दौरान पट्टाधारी को खनन स्कीम की मंजूरी या नामंजूरी सूचित नहीं की जाती तो खनन स्कीम को अनिन्तम रूप से मंजूर समझा जाएगा तथा ऐसी मंजूरी, अन्तिम विनिधिचय जब भी संसूचित हो, के अधीन रहते हुए होगी ।
- (6) नियम 13 के उपबंध खनन स्कीम पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे खनन योजना पर लागू होते हैं ।
- (7) उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक खनन स्कीम नियम 38 के उपनियम(1) के अधीन मान्यता प्राप्त व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी ।
- 19. खनन संक्रियाएं खनन योजना के अनुसार होनी चाहिएं (1) प्रत्येक पट्टाधारी ग्रेनाइट के लिए खनन संक्रियाएं मंजूर खनन योजना के अनुसार ऐसी शलों के साथ करेगा जो नियम 16 के उपनियम(2) के अधीन विहित की गई हों या ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो जिसकी नियम(16) के उपनियम(4) या नियम 12 या नियम 17 या नियम 18 के अधीन मंजूर खनन योजना या स्कीम के अधीन जैसी भी स्थिति हो अनुमति दी गई हो ।
- (2) यदि खनन संक्रियाएं उपनियम (1) के रूप में उल्लिखित खनन योजना के अनुसार नहीं की जाती तो राज्य सरकार या उस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सभी या कुछ खनन

संक्रियाओं को रोक सकते हैं तथा केवल उन्हीं संक्रियाओं को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं जो खदान की दशाओं का प्रत्यावर्तन करने के लिए आवश्यक हो जैसाकि उक्त खनन योजना के अधीन परिकल्पित हो ।

- 20. पूर्वेक्षण तथा खनन संक्रियाएं पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाएं इस प्रकार किये जाएँगे ताकि ग्रेनाइट भंडारों का क्रमबद्ध विकास तथा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।
- 21. कार्यप्रणाली (1) चपटी (शीट) चट्टान (रॉक) में ग्रेनाइट खदानों में कार्य प्रणाली, (सीढ़ी) बेन्च बनाकर, की जाएगी ।
- (2) विखंडित ग्रेनाइट चट्टान सिहत, ग्रेनाइट तथा पछोड़नों में ऐसी सीढ़ियाँ अलग से बनाई जाएंगी तथा पछोड़न या विखंडित ग्रेनाइट चट्टान में पहले ही से तैयार रखी जाएंगी ताकि उनके कार्य से ग्रेनाइट की कार्य प्रणाली में कोई बाधा नहीं आए।
- 22. अविक्रेय ग्रेनाइट का पृथक चट्टा लगाना (1) खदान की तली पर अविक्रेय ग्रेनाइट अपिषष्टों को नियमित तौर पर एकत्र किया जाना चाहिए तथा अपर भू सतह पर लाया जाना चाहिए तथा खदान तल को मलवा ट्रटफूट से उचित रूप से साफ रखना चाहिए ।
- (2) ऐसे अविक्रेय ग्रेनाइट से कुटीर उद्योगों द्वारा दीवार तथा फर्श में प्रयोग के लिए ईटों के निर्माण में संभावित प्रयोग के लिए छोटे ग्रेनाइट टुकड़ों को सड़क धातु या पत्थर रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसी सामग्री को ग्रेनाइट अपशिष्टों के पछोड़नों से अलग किया जाएगा तथा जब भी इन पछोड़नों को पत्थर निकासी या खदान भराई के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, भविष्य में प्रयोग के लिए, इन्हें यथासंभव, अलग एकत्र किया जाएगा।
- (3) ऊपरी मिट्टी, पछोड़न,अपिषष्ट सामग्री या अविक्रेय ग्रेनाइट के पछोड़नों के लिए चालू खदानों से अलग स्थान पर भूमि का चयन किया जाएगा ।
- (4) खनन या खदान संक्रिया प्रारंभ करने से पहले खदान की अवधारणापरक अंतिम सीमा अवधारित की जाएगी तथा पछोड़न स्थल को इस प्रकार चुना जाएगा ताकि ,जहां साथ साथ भराव प्रस्तावित है को छोडकर पछोड़न कार्य खदान की अंतिम सीमाओं के भीतर न हो पाए ।
- 23. खान खोलने का नोटिस तथा खान की विद्यमानता की संसूचना प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर या प्रबंधक, राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारतीय खान ध्यूरो के महानियंत्रक को यथा स्थिति खान खोलने के बारे में ऐसी खान के खुलने के पंद्रह दिन के भीतर या नियमों के प्रारंभ के समय खान की विद्यमानता के बारे में ऐसे प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर प्ररूप "ख" में संसूचना भेजेगा।
- 24. खदानों का परित्याग या अभ्यर्पण (1) प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर या प्रबंधक, ग्रेनाइट खदान या ऐसे खदान के किसी भाग का, पट्टे की अवधि के दौरान राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से लिखित में अनुमित के बिना परित्याग या अभ्यर्पण नहीं करेगा।
- (2) ग्रेनाइट खदान या उसके किसी भाग के परित्याग या अभ्यर्पण का नोटिस प्ररूप ग में दिया जाएगा तथा इसके साथ 1 सेंगी = 10 मी से अन्यन पैमाने वाली योजनाएं तथा कामजात होंगे जिनमें नोटिस प्रस्तुत करने की तारीख तक ऐसी खदान में किये गए कार्य का ठीक ठीक उल्लेख होगा।
- (3) राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति लिखित में आदेश द्वारा ऐसे परित्याग को रोक या अभ्यर्पण को इंकार कर सकता है या ग्रेनाइट खदान या उसके किसी भाग के परित्याग या अभ्यर्पण को ऐसी शर्तों के साथ जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करें अनुज्ञात कर सकेगा।

- (4) यदि खदान स्वामी, अभिकर्ता खनन इंजीनियर या प्रबंधक के नियंत्रण से बाहर किसी प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप किसी ग्रेनाइट खदान या उसके किसी भाग का परित्याग किया जाता है या तत्सम प्रवृत किसी विधि या किसी अधिकरण या न्यायालय के द्वारा स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश या निर्देशों के अनुपालन में कोई पट्टा समाप्त किया जाता है तो, ऐसे परित्याग या अभ्यर्पण के 24 घंटे की अवधि के भीतर राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को संसूचना भेजी जाएगी तथा परित्याग का नोटिस जैसा उपनियम (2) में बताया गया है ऐसे परित्याग या समाप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 25. खदानों में अस्थायी तौर पर काम रोकने का नोटिस प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी अभिकता, खनन इंजीनियर या प्रबंधक, राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारतीय खान ब्यूरों के महानियंत्रक को प्ररूप घ में नोटिस भेजेगा जहां ऐसी खदान में कार्य 60 से अधिक दिन के लिए रोक दिया गया हो ताकि यह नोटिस ऐसे अस्थायी तौर पर काम रोके जाने की जारीख से 75 दिन के भीतर भीतर मिल जाना चाहिए।
- 26. खदान के पुनः खोलने की सूचनाः प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी अभिकर्ता इंजीनियर या प्रबंधक, राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारतीय खान ब्यूरों के महानियंत्रक को ऐसी खदानों के अस्थायी रूप से बंद करा दिये जाने के पश्चात् पुनः शुरू करने के बारे में प्ररूप इ. में सूचना देगा । यह सूचना खान के पुनः खोलने की तारीख से 15 दिन के भीतर उन्हें मिल जानी चाहिए।
- 27. प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं और कागजात की प्रतियां प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी, अभिकर्ता खनन इंजीनियर या प्रबंधक राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन रखी गई योजनाओं तथा कागजात की प्रति यथास्थित जब भी उस सरकार या ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराएगा।
- 28. योजनाओं को तैयार करनाः (1) सभी योजनाओं, कामजात तथा संदर्भों या ग्रेनाइट खदान में रखी उनकी प्रतियों को क्रमबद्ध तरीके से या समुचित रूप से विषय सूची बनाकर रखा जाएगा।
- (2) इन नियमों के अधीन तैयार की गई प्रत्येक योजना, कागजात या उसके अंश पर उसकी सत्यता के बारे में एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसपर खनन इंजीनियर के तारीख सहित, हस्ताक्षर होंगे।
- (3) इन नियमों के अधीन रखी गई या प्रस्तुत की जाने वाली योजना, कांगजात या उसके भाग पर मूल योजना या कांगजात का संदर्भ होना चाहिए जिससे इसे लिया गया है तथा उसकी मूल योजना या कांगजात की सत्य प्रति होने के बारे में खान स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर तथा प्रबंधक को अभिप्रमाणित करना होगा।

# <u>अध्याय 6</u> क्रम**बद्ध** तथा वैज्ञानिक खनन

- 29. पर्यावरण का संरक्षणः प्रत्येक पूर्वेक्षण लाइसेंस या पट्टाधारी उस क्षेत्र जिस के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा दिया गया है, में ग्रेनाइट के पूर्वेक्षण, खनन या संसाधन प्रसंस्करण के समय पर्यावरण को संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संभव उपाय करेगा ।
- 30. सतही मिट्टी को हटाना तथा उसका उपयोग (1) जहां सतही मिट्टी विद्यमान है तथा ग्रेनाइट के पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के लिए इसका उत्खनन किया जाना है, इसे अलग से हटाया जाना चाहिए
- (2) इस प्रकार हटाई गई ऊपरी मिट्टी को उस भूमि जीकि पूर्वेक्षण या खन्न संक्रियाओं के लिए और अधिक आवश्यक नहीं है, के प्रत्यावर्तन तथा पुनर्वास या बाह्य पछोड़नों के स्थायीत्य या ढकने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा !
- (3) जहां ऊपरी मिट्टी को साथ साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसे भविष्य के प्रयोग के लिए अलग से रख लिया जाएगा ।
- 31. पछोड़नों, अपशिष्ट चट्टानों आदि का भंडारणः (1) ग्रेनाइट की पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के दौरान सृजित पछोड़नों अवशिष्ट चट्टानों तथा अविक्रेय ग्रेनाइट का समुचित ढंग से तेयार पछोड़नों में अलग से रखा जाएगा ।
- (2) इन पछोड़नों को समुचित रूप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि सामग्री को हानिकर मात्रा में परिवर्तित होने से बचाया जा सके जिसके कारण समीपवर्ती भूमि का अपक्षरण या जल झोतों के मार्थ में परिवर्तन हो सकता है।
- (3) जहां भी संभव हो, ऐसी अपिषट चट्टानों या पछोड़नों या अन्य अपिषटों को, खाली हो चुकी ग्रेनाइट खदानों जिनमें से यृहदतम गहराई तक ग्रेनाइट निकाल लिया गया हो में भर देना चाहिए ताकि भूमि को, जहां तक संभव हो सके, मूल रूप या वैकल्पिक वांछित प्रयोग में लाया जा सके तथा जहां भराव व्यवहार्य न हो, अपिषट पछोड़नों को उन्हें स्थायी रूप दे देना चाहिए तथा उन पर वनस्पति लगकर उन्हें स्थायी रूप दे देना चाहिए।
- 32. भूमि का सुधार तथा पुनर्वासः प्रत्येक पट्टाधारी पूर्वेक्षण तथा सानन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित भूमि की चरणबद्ध तरीके से प्रत्यावर्तन सुधार तथा पुनर्वास के बारे में कार्य करेगा तथा इस कार्य को ऐसी संक्रियाओं के पूरा होने तथा ग्रेनाइट खवान के परित्याग से पहले पूरा कर लेगा ।

- 33. वायु प्रदूषण के प्रति पूर्वावधानियाँ : ग्रेनाइट के पूर्वेक्षण, खनन या प्रसंस्करण संक्रियाओं तथा संबंधित गतिविधियाँ के दौरान धूल, उत्सर्जित निम्नावों या लपटों के कारण हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा तथा तत्समय प्रवृत्त पर्यावरण संबंधी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रखा जाएगा।
- 34. निम्नावों को हटानाः प्रत्येक पूर्वेक्षण लाइसेंस या पट्टाधारी ग्रेनाइट खदान कार्यशाला या प्रसंस्करण संयंत्र से निकलकर सतह या भूमिगत जल या प्रयोग योग्य भूमि में फैलने वाले क्षारकों तथा आपत्तिजनक द्रव उत्सर्जकों को न्यूनतम करने या रोकने के लिए सभी संभव पूर्वावधानियां बरतेगा । इन निम्नावों को इस बारे में निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाएगा ।
- 35. शोर के प्रति उपाय: ग्रेनाइट के पूर्वेक्षण, खनन और प्रसंस्करण संक्रिया से होने वाले शोर को पूर्वेक्षण लाइसेंस या पट्टाधारी द्वारा स्रोत पर ही कम या नियंत्रित किया जाएगा ताकि उसे अनुज्ञेय सीमा में रखा जा सके ।
- 36. अनुज़ेय सीमा तथा मानकः नियम 33,34, तथा 35 में निर्दिष्ट सभी प्रदूषणों क्षारकों तथा शोर के मानक और अनुज़ेय सीमाएं वे होंगी जो संबंद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय पर सुसंगत कानून के उपबंधों के अधीन अधिस्थित की जाए।
- 37. वनस्पति का प्रत्यावर्तनः प्रत्येक पट्टाधारी पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा चुने गए क्षेत्र में, वृक्षारोपण के लिए तत्काल उपाय करेगा । पर्यावरण को सुधारने तथा मू क्षरण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान पर्याप्त संख्या में वृक्ष लगाए जाएंगे । वह पट्टे की अवधि के दौरान ऐसे वृक्षारोपणों की देखरेख करेगा ।

# अध्याय 7 योग्य व्यक्तियों को <u>रोज</u>गार

- 38. खनन इंजीनियर को रोजगारः (1) इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण तथा खनन संक्रिया करने के उद्देश्य से ग्रेनाइट खदान का प्रत्येक पट्टाधारी निम्नलिखित को रोजगार देगाः
- (क) मशीनीकृत ग्रेनाइट खदान के मामले में, निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला एक पूर्ण कालिक खनन इंजीनियर, अर्थात् :
- (1) खनन इंजीनियरी में डिग्री तथा ग्रेनाइट खदानों सिहत खानों में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव,या
- (2) भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ प्रथम श्रेणी में धातु कर्म खान प्रनंधक प्रमाण पत्र या भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ग्रेनाइट खदान सिंहत खानों में पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव, या
- (3) खानन में डिप्लोमा सिंहत प्रथम श्रेणी में घातु कर्म खान प्रबंधक प्रमाण पत्र या खनन में डिप्लोमा सिंहत ग्रेनाइट खादानों सिंहत खानों में पर्यवेक्षक के रूप में काम करने का तीन वर्ष का अनुभव, या
- (4) प्रथम श्रेणी में धातुकर्म में खान प्रबंधक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ग्रेनाइट खदानों सहित, खानों में कार्य करने का दो वर्ष का न्यूनतम अनुभव ।
- (ख) मशीनीकृत ग्रेनाइट खदान पट्टे को छोड़कर ग्रेनाइट खदान पट्टे के मामले में :
- (1) ऊपर खंड (क) के अधीन विहित अईता रखने वाला अंशकालिक खनन इंजीनियर, या
- (2) भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिब्री या द्वितीय श्रेणी में धातुकर्म खान प्रबंधक प्रमाण पत्र रखने वाला अंशकालिक खनन इंजीनियर , या
- (3) सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्दिफिकेट तथा खान फोरमैन प्रमाण पत्र सिहत ग्रेनाइट खदानों सिहत खानों में न्यूनतम पांच वर्ष का खान फोरमैन या मेट के रूप में अनुभव रखने वाला पूर्णकालिक खनन इंजीनियर स्पष्टीकरणः इस उपनियम के प्रयोजन के लिए मशीनीकृत ग्रेनाइट खदान का अभिप्राय उस ग्रेनाइट खदान से है जहाँ गहन वेधन करने वाली मशीनें लगाई गई हैं या पछोड़नों तथा ग्रेनाइट खंडों के उत्खनन, रखरखाव या दुलाई या परिवहन के लिए भारी मशीनों का प्रयोग होता है।
- (2) उपनियम (1) के खंड (क) के उप खंड (1) में विहित अर्हताएं रखने वाले अंशकालिक खनन इंजीनियर को अधिकतम छः ग्रेनाइट खदानों के पर्यवेक्षण के लिए लगाया जा सकेगा । बशर्ते कि ये सभी ग्रेनाइट खदाने पचास किमी की परिधि में अवस्थित हों ; परन्तु यह कि उप नियम (1) के खंड (क) के उपखंड(1) में विहित अर्हताओं से भिन्न अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को अधिकतम तीन ग्रेनाइट खदानों में अंशकालीन खनन इंजीनियर रखा जा सकेगा बशर्ते ये खदानें पचास किमी0 की परिधि में अवस्थित हों
- 39. खनन इंजीनियर के कर्तब्य : (1) खनन संक्रिया के लिए योजना बनाना तथा संचालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना । खनन इंजीनियर का कर्तब्य होगा कि नियमों के अनुसार ग्रेनाइट

खदान पट्टा क्षेत्र तथा उसके आस पास पर्यावरण के संरक्षण तथा ग्रेनाइट भंडारों का क्रमबद्ध विकास और ग्रेनाइट का संरक्षण सुनिश्चित हो सके ।

- (2) वह इन नियमों के अनुसार, योजनाएं,कागजात,रिपोर्ट तथा स्कीम बनाने तथा उनके रख रखाय के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) वह राज्य सरकार या इस निमित उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, इन नियमों के अधीन, सिखित में दिये गए ऐसे सभी आदेशों तथा निदेशों का पालन करेगा तथा ऐसे प्रत्येक आदेश या निदेश की प्रति यथास्थिति पूर्वेक्षण लाइसेंधारी या ग्रेनाइट खदान पट्टाधारी को देगा ।
- 40.(1) सामग्री उपकरपों तथा सुविधाओं की आपूर्ति (1) खनन इंजीनियर यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के उपबंधों तथा उनके अधीन जारी आदेशों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए ग्रेनाइट खदान में हर समय समुचित सामग्री उपकरणों तथा सुविधाओं की पर्याप्त व्ययस्था है तथा जहां, वह ग्रेनाइट खदान का स्वामी या अभिकर्ता नहीं है वहां वह उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी मांग के लिए खदान मालिक या एजेंट को लिखित में कहेगा । ऐसी प्रत्येक मांग की एक प्रति इस प्रयोजन के लिए बनाई गई फाइल में रिकाई की जायेगी ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन मांग प्राप्त होने पर खदान मालिक या अभिकर्ता यथासंभव श्रीघ्र खनन इंजीनियर को बांछित सामग्री तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ।

#### अध्याम ८

# सूचनाएं और विवरणियां

- 41. तिमाही और वार्षिक विषरणियां : प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर या प्रबंधक राज्य सरकार को या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को और भारतीय खान स्यूरों के महानियंत्रक को इस प्रकार की ग्रेनाइट खदान के संबंध में ऐसी विवरणियों के लिए निर्धारित समय के भीतर विवरणियां प्रस्तुत करेगा, अर्थात:
- (क) 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर या 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक तिमाही की विवरणी प्ररूप "च" में पूर्वमामी तिमाही के लिए अगले माह की 15 तारीख से पहले ;
- (ख) प्ररूप "छ" में एक वार्षिक विवरणी जो कि पूर्वगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से पहले प्रस्तुत की जाएगी;

परन्तु ग्रेनाइट खदान के परित्याग या अध्यर्पण की स्थिति में, उस खदान की वार्षिक विवरणी परित्याग या अध्यर्पण की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

- 42. कतिपय नियुनितयों की सूचना जब इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर भूविज्ञानी और प्रबंधक की नई नियुनित की जाती है या जब किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर दिया जाता है या ऐसा कोई व्यक्ति उक्त नियोजन को छोड़ देता है या जब ऐसे किसी व्यक्ति के पते में कोई परिवर्तन होता है तब ग्रेनाइट खदान का स्वामी या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक ऐसी नियुनित, बर्खास्तानी, पद छोड़ने या पते में परिवर्तन की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को प्ररूप "ज" में सूचना देगा ।
- 43. बीर छिद्रीं के अभिलेख प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी, अभिकर्ता खनन इंजीनियर, भूवैज्ञानिक या प्रबंधक या पूर्वेक्षण लाइसैंस का धारक प्ररूप "झ" में सभी बीर छिद्रों का अभिलेख रखेगा और स्ट्रेटा के सभी अभिलेख और नमूने रखेगा। वह राज्य सरकार या इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पूर्व अनुमोदन के बिना बोर छिद्रों के ऐसे अभिलेखों और स्ट्रेटा के नमूनों को नष्ट नहीं करेगा।
- 44. स्थानांतरित व्यक्तियों के अभिलेख का अंतरण जब किसी पूर्वेक्षण अनुजाप्ति या ग्रेनाइट खदान पट्टे का स्वामित्व अंतरित किया जाता है, तब पूर्ववर्ती स्वामी या उसका अभिकर्ता , स्वामित्व के अंतरण से सात दिन की अवधि के भीतर अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसरण में बनाये गये सुरक्षित बोर छिद्र अंतस्तल यदि कोई हो, सभी रेखांक, खण्डछिद्र ,रिपोर्ट, रिजिस्टर और अन्य अभिलेख तथा पूर्वेक्षण अनुजाप्ति या ग्रेनाइट खदान पट्टे से संबंधित उससे संगत सभी प्रभाचार नये स्वामी या उसके अभिकर्ता को सौंप देगा ;और जब इन नियमों की अपेक्षाओं का समय्क रूप से अनुपालन कर लिया जाए ,तब पूर्ववर्ती और नया ,दोनों स्वामी या उनके अपने अभिकर्ता राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, ऐसे बोर छिद्र अंतस्तल रेखांकों, खण्डछिद्रों, रिपोर्टी, ,रिजिस्टरों और अन्य अभिलेख को जो अंतरित किये गये हैं ब्यौरेवार सूची तुरंत भेजें।
- 45. सूचनाओं और विवरणियों की प्रतियां रखना प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, या प्रबंधक अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञन्ति का धारक श्रमिक हाजिरी रजिस्टर, उत्पादन और प्रेषण विस्कोटक उपभोग रजिस्टर, खनिज विश्लेषण रिपोर्ट और खनन मशीनरी के ब्यौरे तथा इन नियमों के अधीन राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की गई सभी सूचनाओं और विवरणियों, रेखांको, खण्डिछ्दों की प्रतियां क्षेत्र में लाईसैंस धारक, या पट्टाधारक द्वारा स्थापित कार्यालय में रखेगा, और ये निरीक्षण के लिए राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

#### अध्याय 9

# पुनरीक्षण और शास्ति

46. पुनरीक्षण (1) राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन ऐसा आदेश करने या निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी आदेश या जारी किये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना के 90 दिन के भीतर उन्त आदेश के पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यह कि ऐसा आवेदन 90 दिन की उक्त अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक, राज्य सरकार का समाधान कर पाता है कि समय के भीतर आवेदन न करने का उसके पास पर्याप्त कारण है।

(2) प्रत्येक आदेश का जिसके विरूद्ध उप नियम (1) के अधीन पुनरीक्षण आवेदन किया गया है, ऐसे पुनरीक्षण में राज्य सरकार के विनिश्चय को लिम्बित रहने तक पालन किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार आवेदक द्वारा आवेदन करने पर, पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे तक उस आदेश का प्रवर्तन निलंबित कर सकेगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

- (3) उप नियम (1) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर राज्य सरकार व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आवेश या निदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी।
- (4) इस नियम के उपमंधों के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ एक खजाना रसीद होगी जिसमें यह दर्शित होगा कि राज्य सरकार के खजाने में अथवा राज्य सरकार के खाते में खजाने का कारोबार करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में 500 रूपये का संदाय कर दिया गया है।
- 47. शास्ति :जो कोई इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंधन करेगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से और जारी रहने वाले उल्लंधन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, ऐसे प्रथम उल्लंधन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंधन जारी रहता है, पांच सी रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

#### अध्य: 10

# प्रकीर्ण

- 48. अनुसंधान या प्रशिक्षण को हाथ में लेने की सुविधाएं : प्रत्येक पुर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पटटे का धारक ऐसे व्यक्तियों को सभी समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा जिन्हें खनन या भूविज्ञान से संबंधित विषयों में अनुसंधान करने या प्रशिक्षण लेने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
- 49. क्षेत्रीय आधिकारिताः इन नियमों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की क्षेत्रीय अधिकारिता वह होगी जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, द्वारा समय समय पर जारी राजपत्र में अधिसुचित की जाए ।
- 50. अन्य सूचना प्रदान करने की बाध्यताः प्रत्येक ग्रेनाइट खदान का स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, भूविज्ञानी या प्रबंधक अपनी ऐसी खदान के संबंध में ऐसी सूचना या उससे संबंधित किसी बात के संबंध में जानकारी जिसकी लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा यथास्थिति केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्ति, प्रस्तुत करेगा और ऐसी जानकारी इतने समय के भीतर पेश की जाएगी जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।
- 51. इन नियमों के उपबंध को सरकार को लागू होनाः सरकार या बिना पटटे के खनन संक्रियाएं करने वाला या उसके अभिकरण उसी रीति से इन नियमों के सभी उपबंधों से आबद्ध होंगे जैसाकि ग्रेनाइट खदान पटटा धारकों को लागू है।
- 52. राज्य सरकार द्वारा विरचित लघु खनिज रियायत नियमों के उपबंघों का लागू होना: अधिनियम की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित लघु खनिज रियायत नियमों के उपबंध अथवा कोई अन्य नियम ग्रेनाइट खदान पटटों पर उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक ये इन नियमों के विरूद्ध या असंगत न हो ।
- 53. शक्तियों का प्रत्यायोजन : राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इन नियमों के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, ऐसे मामलों और विषयों में ऐसी स्थितियों में, यदि कोई हो, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

# अनुसूची

#### प्ररूप - क

≬िकए गए पूर्वक्षण सिक्कियाओं की यार्षिक रिपोर्ट्∤ ्रीनयम 11 दें 1 और 11 दें देखें दें

महत्वपूर्ण

विधिवत् रूप से भरी हुई यह रिपोर्ट संबद्ध प्राधिकारियों को, पूर्वगमी वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक या परित्याम तिथि के 30 दिनों के भीतर या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पूर्वक्षण संक्रियाओं के पूर्ण होने के तीन माह के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, पहुंच जानी चाहिए।

- 2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता
- पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति भारी का बयौरा
   ≬í≬ निष्पादन की तारीख
  - ≬ii∮ अवधि वर्ष से तक
  - ≬ों ों । अनुज्ञप्ति के अंतर्गत क्षेत्र : हैक्टेयर्स
  - ≬iv≬ राज्य सरकार द्वारा पूर्वक्षण अनुज्ञप्तिधारी को निम्ता संख्या व तारीख संख्या

तारीख

- 4. पूर्वेक्षण अनुझप्ति के अंतर्गत क्षेत्र की अवस्थिति :
  - ≬i) स्थल पन्ना (शीट) संख्या
  - ≬ii≬ भूकर सर्वेक्षण या खसरा संख्या
  - ≬ों। ∮ ग्राम ः

तालुक्य तहसील 🕆

जिला :

राज्य :

≬iv≬ डाकघर :

पुलिस स्टेशन :

≬v≬ निकटतम रेलवे स्टेशन :

दूरी :

≬vi | निकटतम विश्रामगृह/डाक बंगला

सेवा में.

 संबद्ध राज्य सरकार या नियम 49 के अंतर्गत प्राधिकृत कोई व्यक्ति

 महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

5.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत क्षेत्र के लि यदि कोई हो तो, के ब्योर :	ए वैकल्पिक तौर पर नियोजित ५	्विज्ञानी या खनन इं <b>जी</b> नियर
	≬ं ≬ नाम व पता ः		
	:		
	;		
	≬ii≬ अर्हता :		
	≬iii   नियुक्ति की तिथि :		
	<b>≬।∨≬ नियोजन की प्रस्थिति</b> ः	पूर्वकालिक :	अंशकालिक :
6.	पूर्वेक्षण संक्रियाओं की प्रस्थिति :	प्रगति पर :	
	क खाने में सही न लगाएं जो भी लागू हो ।	<b>पूरा किया गया</b> ः परित्यब्तः	
7.	पूर्वेक्षण कार्य द्वारा आच्छादित कुल भू	क्षेत्र ∮हैक्टेयर में∮ः	
8	वर्ष के दौरान पूर्ण किया गया पूर्वेक्षण	कार्यः	
≬क≬	भू-वैज्ञानिक मानचित्रण :	क्षेत्र, हैक्टेयर में :	मापमान :
≬ख <u>≬</u>	गड्दों की खुदाई	≬i≬ गड्ढों की संख्या ≬ii≬ ग्रिड पैटर्न	:
		≬ों ों∮ गहराई ∮मीटर	में≬ औसत :
	·		अधिकतम :
			न्यूनतम :
≬ग≬	खाइयां	≬i∮ खाइयों की संख्या ∦ii∮ लम्बाई ≬मीटर ३	
		प्राप्त लन्याह प्रमाटर र	गं≬ औसत अधिकतम
			न्यूनतम
<b>∮</b> घ≬	नमूनों की संख्या व आकार :		<b>A</b>
ji)	द्भिल करना : वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए बोर छिद्रो	! की संख्या <b>∤बो</b> र के आकार सी	हत≬
ği iğ	बोर छिद्रों की संख्या जहां कार्य प्रगति	•	•
MiiM	कुल वार्षिक बोर ∮मीटर में∮ं:		
∮च≬	्रिल मशीनों के <b>न्यौरे</b>	किस्म मेक	द्भिल की संख्यों की क्षमता

ўछं∮ परीक्षण किए गए नमूनों के व्यौरे

🚺 📗 परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या

≬ii≬ पूर्ण रिपोर्ट

**∳**माजार की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण उपयुक्तता**।** 

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम :

पदनाम

नोट :कृपया जोड़, भंग, तह, दोष, दाने का आकार, संरचना इत्यादि जैसे अद संरचनात्मक विवरण सहित अब तक की गई पूर्वक्षण संक्रियाओं का वर्णन करने वाली और कि क्रिल छिद्रों बिंधी गड़दों गैंगे खाईयों बिंधी नमूनों की स्थिति इत्यादि को दर्शाने वाली विस्तृत भू-वैज्ञानिक योजनाओं और उसके खंडों के साथ एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न करें । क्रिल विश्व को भूविज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप निकाले गए निष्कर्ष और द्विल छिद्र कोर, गड़दों, खाइयों, ग्रेनाइट आरक्षितियों का प्रतिपादन और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार पत्थर की गुणवत्ता और उपयुक्तता को दर्शाने वाले कम से कम दो प्रमुख नमूनों की पूरी रिपोर्ट और खनन प्रचालनों हेतु प्रस्तावित ब्लॉक्स की रिपोर्ट में सम्मिलत होंगे।

प्ररूप - ख

# ≬ खान/खदान के खोलने की सूचना का नोटिस ≬

# | नियम 23 देखें |

महत्वपूर्ण

इस प्ररूप में नोटिस संबंधित प्राधिकारियों को खदान के खुलने की तारीख से, यथास्थिति, 15 दिन के अन्दर या खदान के अस्तित्व की सूचना के लिए इन नियमों के लागू होने के 90 दिन के अंदर, प्राप्त हो जाएगा 1

- सेवा में,
- संबंधित राज्य सरकार अथवा नियम 49
   के अधीन कोई भी ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति
- 2. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

- ≬i∮ पाई गई ग्रेनाइट का नाम :
   ≬iì∮ पाए गए अन्य खनिज ≬खनिजों∮ का नाम, यदि कोई है :
- 2. खदान/खान का नाम :
- खदान/खान के खुलने की तारीख :

4.	पत्र संख्या और वह तारीख जिसके द्वारा खनन योजना अनुमोदित हुई थी : ∮प्राधिकारी को थिनिर्दिष्ट क <b>रे</b> ∮
5.	पट्टाधारक/स्वामी का नाम व पता :
6.	खदान का स्वामित्व :
	∮क∮ पब्लिक सेवटर
	≬ख∮ संयुक्त सेक्टर
	∮ग∮ प्राइवेट सेक्टर
	≬ संयुक्त सेक्टर की दशा में प्रत्येक कम्पनी के प्रतिशत अंश विनिर्दिष्ट करेंर ∮
7.	यदि पट्टेदार एक कम्पनी या साझेदारी फर्म या सहकारी है तो प्रभारी-निदेशक और पंजीकृत कार्यालय का नाम एवं पता इंगित करें: 1
8.	खदान/खनन पट्टे ∮एम एल∮ का ब्यौरा :
	र्∤ो र्मे निष्पादन की तारीख
	≬ii≬ अवधि : वर्ष. से : तक :
	≬i i i ≬ अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र : हैक्टेयर्स
9.	पट्टे की अवस्थिति :
	≬i <b>) स्थ</b> ल पन्ना संख्या :
	ों ों भूकर सर्वक्षण या <b>जसरा</b> संख्या :
	∯ो i ≬ गांष : तालुक/तहसील : जिला : राज्य :
	≬iv≬ झकघर : थानाः
	र् <b>ं</b> निकटतम रेलवे स्टेशन :
	≬vi≬ निकटतम विश्राम गृह/डाक बंगला
10.	पिछले स्वामी का नाम और पता, यदि कोई है, और परित्याम की तारीख
11.	अभिकर्ता का ब्यौरा :
	∳क <b>्रं नाम और</b> पता :
	<b>ॄंखं ॄ नियुक्ति</b> की तारीखः
12.	खनन इंजीनियर का भ्यौरा :
	∮क <b>∮्नाम और पता</b> ः
	्रांख् अर्द्धताएं :

≬गं≬ नियुक्ति की तारीखः

≬घ≬ नियोजन की प्रास्थिति ः

पूर्णकालिक :

अंशकालिक :

13. प्रबंधक का स्यौरा :

≬क≬ नाम और पता ः

≬ख∮ नियुक्ति की तारीखः

स्थानं :

हस्ताक्षर:

तारीखः :

पूरा नाम :

पदनाम : स्वामी/अभिकर्त्ता/खनन इंजीनियर/प्रबंधक

प्ररूप - ग

≬खान/खंदान या खान/खदान के भाग के परित्याग/अभ्यपर्ण करने की इच्छा का नोटिसं≬

[नियम 24 (2) और नियम 24 (4) देखें।

खान/खदान कोड

महत्वपूर्ण

इस प्ररूप में नोटिस पंजीकृत लिफाफे में भेजा जाएगा । यदि परित्याग/अभ्यपर्ण ऐसे कारणों से है जो पट्टेदार के नियंत्रण से बाहर है, यह नोटिस ऐसे

परित्याग/अभ्यपर्ण के 15 दिन के अंदर भेजा जाएगा ।

सेवा में,

संबंधित राज्य सरकार या नियम 49 के अधीन कोई भी ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति

- ≬i ¼ पाई गई ग्रेनाइट की किस्म :
   ≬i i ¼ पाए गए अन्य खनिज ≬खनिजों ≬
   का नाम, यदि कोई है :
- 2. खान/खदान का नाम :
- 3. पट्टेदार/स्यामी का नाम व पता :
- 4. खनन/खदान पट्टे |्रॅक्यू एम एलं | का ब्यौरा ः

≬ं≬ निष्पादन की तारीख:

≬)i≬ अवधि ः

वर्ष से :

तकः:

≬ों। ों पुट्टे का क्षेत्र..... हेक्टेयर्स

5.	खदान/खान	का	निर्धारित	स्यान	:
----	----------	----	-----------	-------	---

≬ं≬ स्थल पन्ना संख्या

≬i i र्वे खसरा संख्या का भूकर सर्वेक्षण :

≬ііі≬ गविः

तालुक/तहसील :

जिला :

राज्य :

≬i∨≬ डाकघर :

थाना :

≬प≬ निकटतम रेलवे स्टेशन :

दूरी :

≬४। विकटतम विश्राम गृह/डाक बंगला :

6. अभिकर्ता का नाम और पता:

7. खनन इंजीनियर का ब्यौरा:

≬क≬ नाम और पता :

≬ख≬ अर्हताएं :

- खनन संक्रियाओं के परित्याग या खान के अध्यपर्ण की तारीख :
- 9. परित्याग/अभ्यपर्ण के कारण

ग्रेनाइट की समाप्ति :

मांग्र की कमी:

खर्चीली संक्रियाएं

न्नम की अनुपलन्धता :

भू-स्खलनः

खदान में बाद :

अन्य आपदा ≬ियनिर्दिष्ट करेंें :

अन्य कारण ≬ियनिर्दिष्ट करेंं|ः

≬जो लागू हो, उसपर सही का निशान लगाएं≬

- 10. यदि परित्याग प्राकृतिक आपदाओं या किसी साविधिक प्राधिकरण/न्यायाधिकरण न्यायालय द्वारा खनन सिक्रयाओं के परित्याग हेतु जारी किए गए आदेश/निर्देशों के कारण है तो ऐसे परित्याग की तारीख ।
- 12. खदान/खान के प्रथम खुलने से लेकर खनिज का कुल उत्पादन :

खदान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या :

पुरूष

स्त्री

कम्पनी के श्रमिक [सीधे]

ठेके के श्रमिक

स्थानं :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

पुरा नाम :

पदनाम : स्वामी/अभिकर्ला/खनन इंजीनियर/प्रबंधक

टिप्पण: 1. जहां पट्टा क्षेत्र के भाग का परित्याग/अभ्यपर्ण करने का प्रस्ताव है, उन मामलों में कॉलम 11, 12 और 13 में, केवल उसी भाग से संबंधित सूचना दी जाएगी 1

2. इस नोटिस को प्रस्तुत करने के समय तक परित्यक्त/अभियमित खदान की संरक्षण हेतु किए गए उपायों और उस संदर्भ में प्रस्ताव और पर्यावरण सहित, खदान में किए गए कार्य को ठीक-ठीक दर्शात हुए, कृपया पट्टा क्षेत्र की योजनाएं/खण्डों को ऐसे पैमाने पर तैयार करके, जो 1:1000 से कम न हो ∮। सेन्टीमीटर=10 मीटर∮, संलग्न करें 1

प्ररूप-घ

(खदान/खाम को अस्थाई रूप से बंद करने का नोटिस) (नियम 25 देखें)

महत्वपूर्ण इस प्ररूप में नोटिस इस प्रकार भेजा जाएगा कि वर्णित संबद्ध प्राधिकारियों को यह 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए, अस्थाई रूप से बन्द करने के 75 दिन के अंदर पहुंच जाएं। खान/खदान कोड.....

सेवा में.

 संबद्ध राज्य सरकार या नियम 49 के अधीन ऐसा कोई प्राधिकृत व्यक्ति
 महानियंत्रक, भारतीय खान व्यूरो, नागपुर,

- 1. (1)पाई गई ग्रेनाइट का किस्म :
  - (11)पाए गए अन्य खनिज (खनिजों) का नाम, यदि कोई है :
- 2. खान/खदान का नाम:
- 3. पट्टादार/स्थामी का नाम और पता :
- 4. खदान/खान के पट्टे का ब्यौरा :
  - (1)निष्पादन की तारीख

(ii)अवधि

वर्ष से

तक

(111)पट्टे के तहत क्षेत्र .......... हैक्टेयर्स

- 5. खदान/खान का अवस्थिति
  - (1)स्थल पन्ना संख्या
  - (ii) खसरा संख्या का भूकर सर्वेक्षण

(111)गांव

तालुक/तहसील

थाना

जिला

राज्य

( 🗤)डाकघर

( V)निकटतम रेलवे स्टेशन

दूरी

( 🗸 і ) निकटतम विश्राम गृह/डाक बंगला

- 6. अभिकर्ता का नाम और पता
- 7. खनन इंजीनियर का नाम और पता
- बंद करने के कारण :

मांग में कमी

श्रम की अनुपलब्धता वर्षा परिवहन संबंधी अङ्ग्वने हड़ताल तालाबंदी संक्रियाओं का खर्चीला हो जाना अन्य कारण (विनिर्दिष्ट करें ) (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं )

9. खनन संक्रिया को रोकने की तारीख

10. पुनः खोलने की संभावित तारीख

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

पूरा नामः

पदनामःस्वामी/अभिकर्ता/खनन इंजीनियर/ प्रबंधक

प्ररूप-इ.

(खदान/खान के पुन: खोलने की सूचना के बारे में नोटिस) (नियम 26 देखें)

महत्त्वपूर्ण इस प्ररूप में नोटिस सँबंद्ध प्राधिकारियों को खदान के पुनः खोलने की तारीख से 15 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगा ।

- (1)पाई गई ग्रेनाइट का किस्म : (11)पाए गए अन्य खनिज(खनिजों) का नाम यदि कोई है :
- 2. खदान/खान का नाम :
- 3. पट्टादार/स्वामी का नाम व पताः

खान/खदान कोड .....

सेवा में.

1. संबद्ध राज्य सरकार अथवा नियम 49 के अधीन कोई भी ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति ।

2. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

4.	खान/खनन के पट्टे(क्यू एम एल)का ब्यौरा	<b>i</b> :			
	(1)निष्पादन की तारीख	_			
	(11)अवधि वर्ष से		क •		
£	(111)पट्टे का क्षेत्र	-—हक्टयर	+		
5.	खदान/खान का अवस्थिति				
	(1)स्थल पन्ना संख्याः				
	(11)भूकर सर्वेक्षण का खसरा संख्या :		<del></del>	•••	— <del></del>
	(111)गांव तालुक/तहसी	i ca	जिला	KI	ज्य
	( IV )डाकंघर	थाना			
	( 🗸 )निकटतम रेलवे स्टेशन		दूरी		
	( Vi )निकटतम विश्राम गृह/डाक बंगला		τ,		
6.	अभिकर्ता का नाम व पताः				
7.	खनन इंजीनियर का नाम व पताः				
8.	खदान/खान को जिस तारीख को				
	क)परित्याग				
	ख)बंद कर दी गई				
9.	पुनः खोलने की तारीख				
			हस्ताक्षर		
स्थान			पूरा नामः		
तारीख			पदनामः स्वाम	1/एजेंट/खन	न इंजीनियर/प्रबंधक
	***				
		प~च • <del>ऽ. ) •</del>			
	तिमार्छ	िरिपोर्ट जन्म करन	a <del>da</del>		
	( नियम ४:	•	ान कोड		
	्राचम ४. 19को स	· / _ /	ही के लिए		
	(1)पाई गई ग्रेनाइट का किस्मः	TITCH TOTAL	21 Tr 1815		
	(1) अन्य खनिज(खनिजों) के नाम, यदि कोई	<b>.</b>			
	(12) 1 31 31 31 31	( 4 )	सेवा में,		
				राउडराइ एक	अथवा नियम ४९
					प्राधिकृत व्यक्ति।
					्राज्यकृतः च्याराः १ खान ब्यूरो, नागपुर
1.	खदान/खान का नाम व स्थानः		ar agaras	iach anzzena	र जान न्यूय, नायपुर
1.	(1)खदान/खान का नाम व स्थानः				
•	• •	तालुक/तहर	ਮੀल	जिला	राज्य
	भाग जागाम्	""A MAG	V-1 X1	1-1344	<b>、</b> ,

2.	पट्टादार/खदान स्वामी का नाम	व प्रता	
	नामः		
	पताः		
3.	स्वीकृत पट्टे के निष्पादन की त	तारीख तथा अवसान की त	गरीख :
4.	खान को खोलने का वर्ष:		
5.	क्षेत्र हेक्टेयर में :		
6.	महीने के दौरान खदान पर कित	ने दिन कार्य हुआ	
7	श्रम नियोजन	पुरूष स	श्री
	(क)प्रतिदिन औसत नियोजन		
	(ख)मजदूरी(रू0)		
8.	उत्पादित ग्रेनाइट का किस्म (रंग	आदि)	
9. 	उत्पादन, प्रेषण भण्डार एवं कच्य	चा आकार ब्लाक के पिट	का आंकलिक मूल्य(यूनिट:क्यूबिक मीटर)
म् <b>द</b>		योग	आकारवार अवशिष्ट
क)आर्रा	म्भक स्टाक		— <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>
ु ख)उत्पा			
ग)प्रेषण			
,	(i)प्रत्यक्ष निर्यात		
	(11)स्वदेशी बिक्री		
घ)बंद र	, ,		
·	, ,	,	
ड.)पिट	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०)	र (सुनिष्टिचत सामान्य संभा	 वित):
ड.)पिट 10	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू0) 		
ड.)पिट 10 11	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ	रा, यदि कोई है:
ड.)पिट 10. 11. 12.	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू0) 	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ	रा, यदि कोई है:
ड.)पिट 10. 11. 12.	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या कैष्टिव खान 100प्रतिशत नि	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ	रा, यदि कोई है:
ड.)पिट 10 11 12	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या केन्टिव खान 100प्रातेशत नि उत्पादन 1)महीने के दौरान:	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ नेर्यातोमुख इकाई है अथवा	रा, यदि कोई है:
ड.)पिट 10. 11.	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या कैण्टिव खान 100प्रांतंशत नि उत्पादन	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ नेर्यातोमुख इकाई हैं अथवा में :	<b>रा,</b> यदि कोई हैं : नहीं :
ड.)पिट 10. 11.	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या कैस्टिव खान 100प्रातेशत नि उत्पादन 1)महीने के दौरान: मात्र(मि0टन)और वर्ग मीटर मे	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ नेर्यातोमुख इकाई हैं अथवा में :	ारा, यदि कोई हैं : नहीं : अंकिलित उत्पादन
ड.)पिट 10. 11. 12. 13.	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या कैप्टिव खान 100प्रांतेशत नि उत्पादन 1)महीने के दौरान: मात्र(मि0टन)और वर्ग मीटर में 11)चालू वित्तीय वर्ष के	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ नेर्यातोमुख इकाई हैं अथवा में : महीने तक के दौरान	ारा, यदि कोई हैं : नहीं : अंकिलित उत्पादन
घ)बंद र ड.)पिट 10. 11. 12. 13.	स्टाक का आंकलिक मूल्य(रू०) स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेदार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या कैष्टिव खान 100प्रांतेशत वि उत्पादन 1)महीने के दौरान: मात्र(मि0टन)और वर्ग मीटर में 11)चालू वित्तीय वर्ष के मात्रा (मि0टन) में	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ नेर्यातोमुख इकाई हैं अथवा में : महीने तक के दौरान	ारा, यदि कोई हैं : नहीं : अंकिलित उत्पादन
ड.)पिट 10. 11. 12. 13.	स्वस्थाने एवं वसूली योग आरक्षित पट्टेवार द्वारा अपनाई गई प्रसंस्क क्या कैन्टिव खान 100प्रातेशत नि उत्पादन 1)महीने के दौरान: मात्र(मि0टन)और वर्ग मीटर में 11)चालू वित्तीय वर्ष के मात्रा (मि0टन) में विमा ब्लाक का निर्यात	त्रण क्रिया कलापों का ब्यौ नेर्यातोमुख इकाई हैं अथवा में : महीने तक के दौरान और वर्ग मी	ारा, यदि कोई हैं : नहीं : अंकिलित उत्पादन

	प्रसंस्करित			
15.	🗸 उत्पादों का निर्यात	मात्रा(मि0 टन में )	म्बू <i>ल्य</i> (रूपये में)	
	i)महीने के दौरानः		मूल्य(रूपये में )	
	11)चालू वित्तीय वर्ष वे	š	महीने तक के दौरान आक	लित (रूपये में)
16.	विमा ब्लाकों/प्रसंस्करित	उत्पादों की स्वदेशी ।	बेक्री :	
	1)महीने के दौरान		मूल्य (रूपये में )	
	<ol> <li>चालू वित्तीय वर्ष वे</li> </ol>		महीने के दौरान आकरि	ात : मृल्य(रू०में)
17.	·		हीने के दौरान उत्पादन में बढ़ोत्तर	•
		C.		
	मैं प्रमाणित करता हूं वि	उपरोक्त प्रस्तुत की	गई सूचना समुचित एवं सभी प्रक	तर से पूर्ण है।
स्थान	:		<b>इस्ताक्षर</b> ः	
तारी	ॿ:		पूरा नामः	
			पदनामःस्वामी/एजेंट/ख	नन इंजीनियर/प्रबंधक
ट्टिप्प	ण :		कार्यस्त श्रम दिवसं	ों की संख्या को
	कार्यदिवसों की संख्या सं	विभाजित कर के अ	गैसत प्रतिदिन नियोजन का ब्यौरा	
		प्रस्तय		
		वार्षिक		
		(नियम 41(	· ' '	
			खान/खदान कोड	
	(1 अप्रैल,,19 (पूर्वगामी वर्ष के बारे में प्रत्ये	से 31 म क वर्ष के लिए 1 ज्	ार्च,19तक के नुलाई से पूर्व अथवा परित्याग/अभ्य	वर्ष हेतु) पैण की तारीख
से 90 दिन	ा के अन <mark>्दर प्रस्त</mark> ुत किया जाए	)		
:	1) पाई गई ग्रेनाइट का किस्म	:		
	11) पाए गए अन्य खनिज(ख	निजों)का नाम,यदि क	ोई है ;	
			सेवा में,	
			_	राज्य सरकार अथवा
			नियम	49 के अधीन कोई भी
				गधिकृत व्यक्ति
			2. महानिय	ांत्रक,भारतीय खान म्यूरो,
			नागपुर	
1 .खदान/स	बान का नाम व स्थानः			
;	खान/खदान का नाम			
;	गांव: डाव	त् <del>घर</del> :		
ī	तालुक/तहसीलः	जिलाः	राज्य:	
2.	<b>न्ट्टादार/खान/खदान स्वामी</b> ब	नाम व पताः		

3.	पट्टा संबंधी ब्यौरा	
	क्षेत्र हेक्टेयर में: निष्पादन की तारीखः	
	अवधि(वर्ष)	
4.	ार्ष के दौरान खदान/खान पर कार्य दिवसों की संख्याः	
5.	हड़ताल, तालाबंदी, मानसून, श्रम की अनुपलन्धता, कारण दिनों की संख्या	
	कम मांग आदि के कारण कार्य रोक देने और	
	इनमें से प्रत्येक घटक के कारण काम रोके जाने के दिनों	
	की संख्या के कारण गताएं	
6.	अर्हित कार्मिक और श्रमिकों का नियोजनः	
6.1 	तकनीकी तथा पर्ययेक्षक कर्मचारियों की संख्याः 	
विवरण	ऋतु नियोजन	आंश्रिक नियोजन ——————
- 客.	स्नातक खनन इंजीनियर	
ख.	डिप्लोमा खनन इंजीनियर	
ग.	भू—वैज्ञानिक	
घ.	अन्य प्रशासनिक,लिपिकीय और	
	तकनीकी पर्यवेक्षक, कर्मचाद्रीमृत्द	
6.2	 तकनीकी एवं पर्यवेक्षक कर्मचारीमृंद को दिया गया वेतन (रु0)	
6.3	श्रम नियोजन : पुरूषः	स्त्री
	क प्रतिदिन औसत नियोजन	
	ख. मजदूरी (रु0)	
7.	उत्पादन, प्रेषण, स्टाझ, तथा कूप का आकलिक मूल्यः	
7.1	वर्ष के दौरान कच्चे आकार ब्लाकों का उत्पादन(यूनिटः वर्ग मीटर)	
मद	वोग	आकार-वार अविशष्ट
क.	आरम्भिक स्टाक	
ख.	उत्पादन	
ग.	प्रेषण	
	i) प्रत्यक्ष निर्यात	
	ii)स्वदेशी बिक्री	
	<del></del>	
घ.	बंद स्टाक	

7.2 आकलित उटपादन (पिट के खोले जाने से लेकब वर्ग मीटर)

7.3	अपशिष्ट एवं निराकृत (यूनिट: वर्ग मीटर)	
<del></del> मद	वर्ष के दौरान	संचयी योग
क.	अधिभार के रूप में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा	
ख.	खनन अथवा कच्चा ब्लाक	
	से उत्पादित अनुषंगिक अपशिष्ट की मात्रा	
ग.	निराकृत ब्लाक एवं निराकृत दरेसी से निराकृत	
	से उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा	
घ.	अपशिष्ट एवं निराकृत का प्रेषण	
	(उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार)	
8.	वर्ष के दौरान उपयोग की गई खनन मशीनरी	
मशीनरी	की किस्म यूनिट संख्या	प्रत्येक यूनिट के इंजन कार्य के घंटों की संव श्रीअप्रव शक्ति
———— क.		
ख.		
ग.	•	
घ. 		
9.	विस्फोटकों की खपतः	
	क. गन पाउडर (कि0ग्रा0)	ख डेटोनेटर(संख्या)
	ग.सेफ्टी फ्यूज(मीटर में)	घ डेटोनेटिंग फ्यूज(कुंडलियों की संख्या)
,	ड.अन्य कोई विस्फोटक (कि0ग्रा0)	
	(कृपया यूनिटों में उल्लेख करें)	
10.	वर्ष के दौरान खपाई गई सामग्री की मात्रा एवं लागत	
	माश	लागत(रु०)
	1.ईधन (लीटर):	
	2. बिजली(कि0वा0):	
	3. विस्फोटकः	•
	4.अन्य सामग्री:	
11.	अचल परिसम्पत्ति का विशेष विवरण (रु०)	
12.	अन्य व्यय यथा ऊपरी खर्चे,अनुरक्षण आदि (रु०)	
13.	किराए एवं स्थामित्व के लिए भुगतान की राशि (रु०) ार्बार्षिक उत्पादन (पिछले 3 वर्ष)(मात्रा एम टन में तथा व	र्ज मीटर में।
14.	· -	11 110× 1)
15.	िनर्यात (पिछले 3 वर्ष) (विमा ब्लाक के लिए टन और मूल्य में तथा प्रसंस्कृत उ	त्यादों हेत टन और मल्य में अलग अलगो:
	राजना ज्यान के छाद दन जार चूरण में राजा प्रतिस्थित व	A HAT SHE SHE SEE A SEEL AND ADDA.

16 पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा चालू वर्ष के वौरान उत्पादन में बढ़ोत्तरी/कमी के कारण :
मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना समुचित एवं सभी प्रकार से पूर्ण है ।

स्थान:	स्वामी/एजेंट/खनन	इंजीनियर/प्रबंधक	का	नाम व	हस्ताक्षर
तारीख:					
टिप्पण:	·,				<del></del>

- क. कार्य रोके जाने के मामले में, कार्य को रोकने के कारण एवं कितने दिन कार्य रोका गया अदर्शित करें।
- ख. कार्यजन दिवसों की संख्या को कार्यदिवसों की संख्या से विक्राजित करके औसत प्रतिदिन नियोजन का ब्यौरा प्राप्त किया गया है।
- म. मजदूरी में, बोनस, भविष्यनिधि में, कर्मचारियों का अंशदान, कल्याणकारी क्रियाकलाप आदि समेत सभी प्रकार के नगद भुगतान शामिल हैं । अनुग्रहपूर्वक दी गई रियायत को मजदूरी में शामिल न किया जाए ।
- घ. पिट आकलित मूंल्य, पिट शीर्ष पर ग्रेनाइट के बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। एफओआर अथवा एफओबी अथवा अन्य किसी आधार पर की गई बिक्री के मामले में कूप शीर्ष पर बिक्री मूल्य का निर्धारण,खनन/खान से रेलवे स्टेशन अथवा पत्तन अथवा अन्य बिक्री स्थल तक के लिए जैसा भी मामला हो (यथा परिवहन,लदान और उतराई प्रभार,रेलवे भाड़ा,नमूना और विश्लेषण,पोर्ट हैण्डलिंग,निर्यात शुल्क एवं चुंगी के लिए) व्यय की गई समग्र राश्वि को घटाने के बाद किया जाना चाहिए।

प्ररूप-ज निश्चित नियुक्तियों/त्यागपत्र/सेवा समाप्ति/पते में परिवर्तन संबंधी नोटिस) (नियम 42 देखें )

महत्वपूर्ण
नई नियुक्ति अथवा नियोजन से
सेवा समाप्ति या त्यागपत्र या एजेंट/खनन
इंजीनियर/भूवैज्ञानिक/प्रबंधक के पते में परिवर्तन
की तारीख से 15 दिन के अंदर संबंधित प्राधिकारियों
को इस प्ररूप में नोटिस दिया जाना चाहिये ।

- पट्टादार/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिम्सरिः का नाम व पता
- ग्रेनाइट का नाम, जिसके लिए खान/खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया है ।

खान/खनन कोड ...... सेवा में, संबंधित राज्य सरकार अथवा नियम 49 के अधीन कोई भी ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति

3.	पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति वाले क्षेत्र का नाम	
4.	पट्टा अवस्थित/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति वाला क्षेत्र	
	(1)स्थल पन्ना संख्या	
	(2)भूकर सर्वेक्षण अथवा खसरा संख्या	
	(3)गांव तालुक/तहसील जिला	राज्य
	(4)डाकघर थाना	
	(5) निकटतम रेलवे स्टेशन दूरी	
	(6)निकटतम् विश्रामगृष्ट्/डाक नगला पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का न्यौरा (हेळटे यर मेर्)	
5	1 7 41	
	1)निष्पादन की तारीख	
	i1)अवधि वर्ष से तक li1)खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का क्षेत्र (हेंक्ट्रेय में)	
6.	कृपया उपदर्शित करें क्या निम्न के भारे में नोटिस दिया गया है :	
	1)नई नियुक्ति	
	11)त्याग पत्र/नियोजन से समाप्ति	•
	111)पते में परिवर्तन	
(जो लागू	तागून हो उसे काट दें)	OK X
7.	अभिकर्ता /खनन इंजीनियर/भूवैज्ञानिक प्रबंधक की नियुक्ति के मामले में कृपया	उपदाशत करः
	(1)नाम	
	(2)पदनाम	
	(3)पता	
-	(4) अर्हता	
	(5)जिस विश्वविद्यालय/संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की :	
	(6)नियुक्ति की तारीख	<del>ण जन्मध</del> ीन क्रों ।
8.	यदि नियुक्ति खनन इंजीनियर अथवा भूवैज्ञानिक के रूप में की गई है तो कृपर	गा उपदाशत कर । अंशकालिक है
	(1)क्या नियुक्ति पूर्णकालिक है (जो भी लागू हो उस पर ( 🗸 )का निशान लगाएं ) - साइक्रेंस	'जराकााराक र
	(भा भा लागू हा उस पर (४) अभा निशान लगाए ) हा हुस् <i>र हुस्स</i> (11)अन्य सभी खनन के नाम अवस्थल और स्वामित्य/पूर्वेक्षण, जिनका वह पर	विष्या स्टोबा ।
^	अभिकर्ता/खनन इंजीनियर/भूवैज्ञानिक प्रबंधक के त्यागपत्र/नियोजन की समाप्ति	
9.	आमकतामुखनम् हुणानपर्ममूपशानिक प्रमयकं क स्पानपर्माणायायम् का स्पानस्य करें :	ना नानरा न उनुसारा
	(1)नाम (2)पटनाम	
	(2)पदनाम (3)त्यागपत्र/नियोजन से समाप्ति की तारीख	
	(ऐसे सृजित की गई रिक्ती को भरे जाने के मामले में कृष्या इस का ब्यौरा	कालम 6 और 7 में
	दिया <b>जा</b> ए )	
	विकास अपर् /	

		<del></del>			<del></del>			
10.	पट्टेदार/अभिकर्ता/खन उपदर्शित करें: 1. नाम: 2. पदनाम: 3. वर्तमान पता: 4. पते में परिवर्तन		ক/পূৰ্বথক	के पते	में परिवर्तन	न के	मामले	में कृष्या
स्थानः				इस्ताक्षर	•			
ता <b>रीख</b> ः				पूरा नाम	:			
				प <b>दनाम</b> :र	स्वामी/लाइसे	सधारी		
		'प्रकर्प'	~ T					
्प्रत्वेक होए	होल/ पिट के बारे में सु	·	<u></u>	रा अभिद्धि	सित किया	310 )		
	4100 140 4 40 11 11	हर गायक रूपा गाउ 4-4	•	1 (1 011-110	11-40(1-14-4)	wi( )		
1. बेगाइट का	किस्म जिसके लिए अनु	क्रिप्ति अववा पटटा						
	म्बानवार्धः							
▼_	ारी/पष्ट्टेबार का नाम व	पता :						
•	/पूर्वेक्षण का नाम	:						
		ાસ :						
	पन्ना संख्या :							
2. স্কুড	स <b>र्वेक्ष</b> ण अ <mark>यवा ख</mark> सरा सं	<del>छवा</del> :						
3. गांव		तालुक/तहसील			f	त्रला		राज्य
4. डाक्ख	ारा	-	थाना					
५. निकटर	प्म रेसवे स्टेशन			7	दूरी			
6. निकटर	ाम विभागगृह / डाक बंग	ાસા <u>-</u>						
5. ड्रिल का वि	<b>इस्म एवं बनाव</b> ट तथा के	रिका आकार						
<b>8. बोर होल/</b>	पिट संख्या तथा इंगका	अवस्थल :						
क, बीए ह	तिल/ <b>कूप संख्या</b> तथा इस	का स्थल						
ख, होल	<b>भा सुकाव एवं दि</b> शाकीण							
ग, निर्माण	की जेवाई							
	मुदाई की अवधि :							
	आरंभ करने की तारीख			ख. कार	र्व पूरा होने ।	शि तारी	<b>u</b> .	
8. होल/पिट	की कुल लम्बाई							
	ट खुवाई का उद्देशय							
10. समग्र प्रव	तलन पर किया गया व्य	य ( रूपए )						

11. प्रतिच्छेदन का स्वीरा ( नीचे विए अनुसार ) क. परिमाण ( रन ) संबंधी ब्यौरा (मीटर)से: ( मीटर ) तक : चौडाई (मीटर) वास्तविक चौड़ाई ( मीटर ) **ध. कोर/पिट का आकार** ग. कोर का औसत प्रति प्राप्ति घ. अश्म विद्यान ( लिपोलोजी ) ड, किए गए परीक्षण का स्वीरा ( भौतिक गुण एवं पत्चर की गुणवरता का उरुलेख करें ) स्यान : इस्साक्षर : तारीख: पुरा नाम : पवनामःस्वामी/अभिकर्ता/खन्न इंजीनिवर/प्रबंधक

> [सं. 1/1/99-खान-6] एस. पी. गुप्ता, संयुक्त सचित्र

# MINISTRY OF STEEL AND MINES (Department of Mines) NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1999

G.S.R. 398(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules for conservation and systematic development of and scientific mining to conserve, the granite resources and to prescribe a uniform frame-work with regard to systematic and scientific exploitation of granite through out the country, namely:-

# CHAPTER I PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Granite Conservation and Development Rules, 1999.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.- These rules shall apply to prospecting and quarrying of granite.
- 3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957);
  - (b) "agent" when used in relation to a quarry, means any person whether appointed as such or not, who acts as the representative of the owner in respect of the management of the quarry or any part thereof;
  - (c) "development" means removing overburden or unproductive or waste materials as preparatory to mining;
  - (d) "drilling" means the penetration of alluvial material, rocks or formations by holes for obtaining geological information and for drawing samples therefrom:
  - (e) "environment" and "environmental pollution" shall have the same meanings assigned respectively to these terms in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
  - (f) "Form" means a Form set forth in Schedule to these rules;
  - (g) "geologist" means a person appointed in writing by the prospecting licensee, owner or agent to perform the duties of a geologist under these rules:
  - (h) "granite" means dolerites, granite geneisses, migmatites, gabbros, anorthosites, rhyolites, syenites, leptynites, charnockites and any other igneous and orthometamorphic rock types which are -
    - (i) amenable to be recovered as dimensional stone;
    - (ii) capable of taking polish; and
    - (iii) commercially exploitable.

- (i) "lease" means a lease granted for the purpose of undertaking mining or quarrying operations for granite;
- (j) "manager" when used in relation to a mine or a quarry, means any person appointed by the owner or agent and includes the owner or the agent if he appoints himself to be such manager, under section 17 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);
- (k) "mining engineer" means a person appointed in writing by the owner or agent to perform the duties of a mining engineer under these rules;
- (i) "prospect" means an area where existence of granite has been established.
- (m) "prospecting licence" means a licence granted for the purpose of undertaking any operation for the purpose of exploring, locating or proving granite deposits;
- (n) "quarry" means an opencast working as defined in Mines Act, 1952 (35 of 1952);
- (o) "recognised person" means a qualified person granted recognition by the competent authority under these rules to prepare mining plan;
- (p) "sheet rock" means massive granite bodies but does not include boulders;
- (q) "year" means the twelve months period beginning from the first day of April and ending on the thirty first day of March of the following year;
- (2) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

#### CHAPTER II

## PROSPECTING AND MINING OF GRANITE

- 4. Prospecting to precede mining operations. No lease shall be granted by the State Government unless it is satisfied that there is evidence to show that the area for which the lease is applied for has been prospected earlier for granite or the existence of granite therein has been established otherwise.
- 5. Period for which prospecting licence may be granted or renewed.- The period for which a prospecting licence may be granted shall not exceed two years.
- 6. Period for which leases may be granted or renewed. (1) The maximum period for which a lease may be granted shall not exceed thirty years.

Provided that the minimum period for which any such lease may be granted shall not be less than twenty years.

- (2) A lease may be renewed for a period not exceeding twenty years.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the State Government is of the opinion that in the interest of development of granite it is necessary to do so, it may, for reasons to be recorded, authorise the renewal of a lease for a further period or periods not exceeding twenty years in each case.
- 7. Minimum and maximum area for grant of a mining lease.- (1) The minimum area that may be granted or renewed under a lease for ensuring mining activities to optimum depth shall not be less than one hectare;
  - (2) The maximum area that may be granted under a mining lease shall not exceed fifty hectares.

Provided that the State Government, if it is satisfied on the basis of proposed production level, geological or topographical conditions, may for the reasons to be recorded in writing, grant or renew a lease over an area more than the maximum area or less than the minimum area specified under this rule.

#### CHAPTER III

#### PROSPECTING OPERATIONS

- 8. Scheme of prospecting.-(1) Every holder of a prospecting licence for granite shall submit to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government within a period of sixty days from the date of execution of the prospecting licence, a scheme of prospecting indicating the manner in which he proposes to carry out the prospecting operation, in the area covered by the licence and the scheme shall incorporate the following; namely:-
  - (a) particulars of the area;
  - (b) the scale of the plan and the area of geological mapping;
  - the number of pits, trenches, and bore holes which he proposes to put in the area and the locations thereof;
  - (d) the particulars of the machines to be used;
  - (e) the details of exploratory mining to be undertaken;
  - (f) the number of samples proposed to be drawn and tested;
  - (f) baseline information of prevailing environmental conditions before the beginning of the prospecting operations;
  - (h) any other matter relevant for the preparation of a scheme of prospecting, as directed by the State Government or any person so authorised from time to time by a general or specific order.
  - (2) The prospecting scheme under sub-rule (1) shall be prepared by a recognised person or a geologist or a mining engineer employed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 38.
- 9. Modification of scheme of prospecting.-(1) A prospecting scheme prepared and submitted under rule 8 may be modified at any time on geological considerations by the holder of a prospecting licence during continuance of the prospecting licence.

- (2) Any modification carried out under sub-rule (1) shall be intimated to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government, by the holder of a prospecting licence within a period of fifteen days.
- 10. Prospecting operations to be carried out in accordance with scheme of prospecting.— Every holder of a prospecting licence for granite shall carry out the prospecting operations in accordance with the scheme of prospecting submitted under rule 8 or with such modifications, if any, as intimated under rule 9 or as directed by the State Covernment or any person authorised by that Government in this behalf.
- 11. Report of prospecting operations.- (1) Every holder of a prospecting licence for granite shall submit to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government and the Controller General, Indian Bureau of Mines an annual report in Form A so as to reach them by 30<sup>th</sup> April for the previous year;

Provided that a report in Form-A shall be submitted within a period of three months after the completion of abandonment of the prospecting operations or the expiry of the prospecting licence, whichever is earlier.

(2) Where prospecting operations for granite are carried out by any authoruty specified in the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Act without a prospecting licence, such authority shall submit the annual report in Form A to the State Government or any person authorised by that Government and the Controller General, Indian Bureau of Mines in respect of each area where prospecting operations for granite have been undertaken by them.

Provided that this sub-rule shall not apply in a case where field operations consist of only geological mapping or geo-physical or geo-chemical investigations.

#### CHAPTER IV

#### MINING PLAN

- 12. Mining Plan as a pre-requisite to the grant of lease. No lease shall be granted or renewed by the State Government unless there is a mining plan duly approved by the State Government or any person authorised in this behalf by that Government for the development of the grante deposit in the area concerned.
- 13. Mining plan to be prepared by a recognised person.—(I) No mining plan shall be approved unless it is prepared by a qualified person recognised in this behalf by the State Government or any person authorised by that Government or by a recognised person under rule 22B of the Mineral Concession Rules, 1960.
  - (2) No person shall be granted recognition for the purposes of sub-rule (1) by the State Government or any person authorised by that Government unless he holds -
  - (i) a degree in mining engineering or a post-graduate degree in geology granted by a university established or incorporated by or under an Act of Parliament or any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any qualification equivalent thereto; and
  - (ii) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining or mineral administration after obtaining a degree or qualification required under clause (i).
- 14. Grant of recognition by State Government.-(1) Any person possessing the qualifications and experience required under sub-rule (2) of rule 13 may apply for recognition to the competent authority designated by the State Government for this purpose.
  - (2) The competent authority after making such enquiry as it deems fit, may grant or refuse to grant recognition and where recognition is refused, the competent authority shall record reasons in writing and communicate the same to the applicant.
- (3) A recognition shall be granted for an initial period of ten years and may be renewed for further periods not exceeding ten years at a time:

Provided that the competent authority may refuse to renew recognition for reasons to be recorded in writing after giving an opportunity of hearing to the person concerned.

- 15. Approval and submission of mining plan. On receipt of the application for grant of mining lease for undertaking mining operations for granite, the State Government shall take decision to grant precise area for the said purpose and communicate such decision to the applicant and on receipt of the communication from the State Government of the precise area to be granted, the applicant shall submit a mining plan within a period of three months from the date on which such communication is received or such other period as may be allowed by the State Government for approval and the said mining plan shall incorporate -
  - (i) the plan of the precise area showing the nature and extent of the granite body; spot or spots where the excavation is to be done in the first year and its extent; a detailed cross-section and detailed plan of spots of excavation based on the prospecting data gathered by the applicant; a tentative scheme of mining for the first five years of the lease;
  - (ii) details of the geology and lithology of the precise area including granite reserves of the area;
  - (iii) the extent of manual mining or mining by the use of machinery and mechanical devices on the precise area;
  - (iv) the plan of the precise area showing natural water courses, limits of reserved and other forest areas and density of trees, if any, assessment of impact of mining activity on forest, land surface and environment including air and water pollution; details of scheme for restoration of the area by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and of such other measures as may be directed by the Central or the State Government from time to time;
  - (v) annual programme and plan for excavation on the precise area from year to year for five years;
  - (vi) any other matter which the State Government or any person so authorised may require the applicant to provide in the mining plan.

### CHAPTER V

#### MINING OPERATIONS

- 16. Mining plan as a pre-requisite to the commencement of mining operations.

  (1) No person shall commence mining operations for granite in any area except in accordance with a mining plan approved under these rules.
  - (2) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government may require the holder of a lease to make such modifications in the mining plan referred to in sub-rule (1) or impose such conditions as it considers necessary by an order in writing if such modifications or imposition of conditions are considered necessary in the light of the experience of operation of mining plan or in view of the change in the technological development.
  - (3) A holder of a lease, desirous of seeking modifications in the approved mining plan as are considered expedient, in the interest of safe and scientific mining, conservation of granite, or for the protection of environment, shall apply to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government, setting forth the intended modifications and explaining the reasons for the same.
  - (4) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government may approve the modifictions under sub-rule(3) or approve with such alterations as it may consider expedient.
- 17. Mining plan to be submitted by the existing lessee.— (1) Where mining operations for granite have been undertaken before the commencement of these rules without an approved mining plan, the holder of such lease shall submit a mining plan within a period of one year from the date of commencement of these rules, to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government for its approval.
  - (2) If a holder of a lease has not been able to submit the mining plan within the specified time for reasons beyond his control, he may apply for extension of time giving reasons to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government.
  - (3) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government on receiving an application made under sub-rule (2) may, on being satisfied, extend the period for submission of the mining plan for a period which may not exceed one year.
  - (4) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government may approve the mining plan submitted by the lessee under sub-rule (1), or may require modifications to be carried out in the mining plan and the

lessee shall carry out such modifications and resubmit the modified mining plan for approval of the State Government or the person so authorised, as the case may be.

- (5) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government shall, within a period of ninety days from the date of receipt of the mining plan or the modified plan, convey its or his approval or disapproval to the applicant and in case of disapproval it or he shall also convey the reasons for disapproving the said mining plan or the modified mining plan.
- (6) If no decision is conveyed within the period stipulated under sub-rule (5), the mining plan or the modified mining plan, as the case may be, shall be deemed to have been provisionally approved and such approval shall be subject to the final decision whenever communicated.
- (7) The mining plan submitted under sub-rule (1) shall be prepared by a recognised person.
- 18. Review of mining plan.- (1) Every mining plan duly approved under these rules shall be valid for the entire duration of the lease.
  - (2) The owner, agent, mining engineer or manager of every mine or quarry shall review the mining plan as prescribed under sub-rule (1) and submit a scheme of mining for the next five years of the lease to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government for approval.
  - (3) The scheme of mining shall be submitted to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government at least one hundred twenty days before the expiry of the five years' period, for which it was approved on the last occasion.
  - (4) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government shall convey its or his approval or refusal to the scheme of mining within ninety days of the date of its receipt.
  - (5) If approval or refusal of the scheme of mining is not conveyed to the holder of the lease within the stipulated period, the scheme of mining shall be deemed to have been provisionally approved and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.
  - (6) The provisions of rule 13 shall apply to the scheme of mining in the same way as they are applicable to the mining plan.
  - (7) Every scheme of mining submitted under sub-rule (2) shall be prepared by a recognised person or a person employed under sub-rule (1) of rule 38.
- 19. Mining operations to be in accordance with mining plan. (1) Every holder of a lease shall carry out mining operations for granite in accordance with the approved

mining plan with such conditions as may have been prescribed under sub-rule (2) of rule 16 or with such modifications, if any, as permitted under sub-rule (4) of rule 16 or the mining plan or the scheme approved under rule 12 or 17 or 18 as the case may be.

- (2) If the mining operations are not carried out in accordance with the mining plan as referred to under sub-rule (1), the State Government or any person authorised in this behalf by that Government may order suspension of all or any of the mining operations and permit continuance of only such operations as may be necessary to restore the conditions in the quarry as envisaged under the said mining plan.
- 20. Prospecting and mining operations. The prospecting and mining operations shall be carried out in such a manner so as to ensure systematic development and conservation of granite deposits and protection of environment.
- 21. System of working.- (1) System of working in granite quarries in sheet rock shall be performed by formation of benches.
  - (2) Such benches in granite and overburden including weathered granite shall be formed separately and the benches in overburden or weathered granite shall be kept sufficiently in advance so that their working does not interfere with the working of granite.
- 22. Separate stacking of non-saleable granite.- (1) The non-saleable granite rejects at quarry bottom should regularly be collected and transported to the surface and the quarry floor kept reasonably clear of debris.
  - (2) Small granite blocks from such non-saleable granite suitable for possible use in manufacture of bricks as well as flooring or wall tiles by small scale industries sector shall not be used as road metal or stone aggregate and such material shall be segregated from the dumps of granite rejects and stored separately for future use as far as possible, whenever such dumps are worked for recovery of stone aggregate or used as quarry backfill.
  - (3) The ground selected for dumping of top soil, overburden, waste material or non-saleable granite shall be away from working quarry.
  - (4) Before starting mining or quarrying operations, conceptual ultimate limits of the quarry shall be determined and dumping ground shall be so selected that dumping is not carried out within the limits of the ultimate size of the quarry except where simultaneous back filling is proposed.
- 23. Notice for opening of a mine and intimation of existence of a mine. The owner, agent, mining engineer or manager of every granite quarry shall send to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government and to the Controller General, Indian Bureau of Mines an intimation in Form-B of the opening of a mine so as to reach them within fifteen days of such opening or of the existence of a mine

at the time of the commencement of the rules within ninety days from such commencement, as the case may be.

- 24. Abandonment or surrender of quarries.- (1) The owner, agent, mining engineer, or manager of every granite quarry shall not abandon or surrender a granite quarry or a part of such quarry during the subsistence of the lease except with prior permission in writing of the State Government or any person authorised in this behalf by that Government.
  - (2) Notice for abandonment or surrender of a granite quarry or a part thereof shall be given in Form-C and shall be accompanied by plans and sections on a scale of not less than 1 cm=10 metres showing accurately the work done in such quarry upto the date of submission of the notice.
  - (3) The State Government or any person authorised in this behalf by that Government may by an order in writing prohibit abandonment or refuse surrender or allow the abandonment or surrender of a granite quarry or part thereof with such conditions as he may specify in the order.
  - (4) Where an abandonment of a granite quarry or part thereof takes place as a result of the occurrence of a natural calamity beyond the control of the owner, agent, mining engineer or manager of a such quarry, or the lease is terminated in compliance of any order or directions issued by any statutory authority established under any law for the time being in force or any tribunal or a court, an intimation shall be sent to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government within a period of twenty-four hours of such abandonment or termination and the notice of abandonment as provided in sub-rule(2) shall be submitted to the State Government or any person in this behalf by that Government authorised within a period of fifteen days of such abandonment or termination.
- 25. Notice of temporary discontinuance of work in quarries. The owner, agent, mining engineer, or manager of every granite quarry shall send to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government and to the Controller General, Indian Bureau of Mines, a notice in Form-D when the work in such quarry is discontinued for a period exceeding sixty days so as to reach them within seventy five days from the date of such temporary discontinuance.
- 26. Intimation of reopening of a quarry.— The owner, agent, mining engineer or manager of every granite quarry shall send to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government and to the Controller General, Indian Bureau of Mines an intimation in Form-E of reopening of such quarry after temporary discontinuance so as to reach them within fifteen days from the date of such reopening.
- 27. Copies of plans and sections to be submitted.— The owner, agent, mining engineer or manager of every granite quarry shall submit to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government, a copy of the plans and sections

maintained under these rules, as and when required by that Government or such person, as the case may be

- 28. Preparation of plans. (1) All plans, sections and tracings or copies thereof kept at the granite quarry shall be serially numbered or suitably indexed.
  - (2) Every plan, section or part thereof prepared under these rules shall carry thereon a certificate for its correctness and shall be signed by the mining engineer with date.
  - (3) Every copy of a plan and section or part thereof submitted or maintained under these rules shall bear a reference to the original plan or section from which it was copied and shall be certified thereon by the owner, agent, mining engineer or manager to be a true copy of the original plan or section.

#### CHAPTER VI

#### SYSTEMATIC AND SCIENTIFIC MINING

- 29. Protection of environment. Every holder of a prospecting licence or a lease shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution while conducting prospecting, mining or processing of granite in the area for which such licence or lease is granted.
- 30. Removal and utilisation of top soil.-(1) Where top soil exists and is to be excavated for prospecting or mining operations for granite, it should be removed separately.
  - (2) The top soil so removed shall be utilised for restoration and rehabilitation of the land which is no longer required for prospecting or mining operations or for stabilising or landscaping the external dumps.
  - (3) Where top soil cannot be used concurrently, it shall be stored separately for future use.
- 31. Storage of overburden, waste rock etc.- (1) The overburden, waste rock and non-saleable granite generated during prospecting or mining operations for granite shall be stored separately in properly formed dumps on grounds earmarked.

- (2) Such dumps shall be properly secured to prevent the escape of material in harmful quantities which may cause degradation of the surrounding land or silting of water courses.
- (3) Wherever possible, such waste rock or overburden or other rejects, shall be backfilled into the worked out granite quarry, where granite has been recovered upto the optimum depth, with a view to restore the land to its original use or desired alternate use, as far as possible and where the backfilling is not feasible, the waste dumps shall be suitable terraced and stabilised by planting vegetation or otherwise.
- 32. Reclamation and Rehabilitation of lands.—Every lease holder shall undertake in a phased manner restoration, reclamation and rehabilitation of lands affected by prospecting or mining operations and shall complete this work before the conclusion of such operations and the abandonment of the granite quarry.
- 33. Precaution against air pollution.- Air pollution due to dust, exhaust emissions or fumes during prospecting, mining or processing operations for granite and related activities shall be controlled and kept within permissible limits specified under any environmental laws for the time being in force.
- 34. Discharge of effluents.- Every holder of a prospecting licence or a lease shall take all possible precautions to prevent or reduce to a minimum the discharge of toxic and objectionable liquid effluents from granite quarry, workshop or processing plant, into surface or ground water bodies, and usable lands. These effluents shall conform to the standards laid down in this regard.
- 35. Precaution against noise. Noise arising out of prospecting, mining and processing operations for granite shall be abated or controlled by the holder of prospecting licence or a lease at the source so as to keep it within the permissible limit.
- 36. Permissible limits and standards.—The standards and permissible limits of all pollutants, toxins and noise referred to in rule 33, 34 and 35 shall be those notified by the concerned authorities under the provisions of the relevant statutes from time to time.
- 37. Restoration of flora.- Every lease holder shall take immediate measures for planting in the area held under the lease or any other area selected by the State Government for this purpose, such number of trees sufficient to improve the environment and to minimise effects of land degradation during the entire period of such lease. He shall look after such tree plantations during the subsistence of the lease.

#### CHAPTER VII

# EMPLOYMENT OF QUALIFIED PERSONS

- 38. Employment of mining engineer.-(1) For the purpose of carrying out prospecting and mining operations in accordance with these rules, every holder of a granite quarry lease shall employ, -
  - (a) in the case of a mechanised granite quarry, a whole time mining engineer possessing the following qualifications, namely:-
    - (i) Degree in mining engineering with minimum one year's experience of working in mines including granite quarries, or
    - (ii) Post Graduate degree in geology with First Class Metalliferous Mines Manager's Certificate or Post Graduate degree in geology with minimum three years' experience of working in supervisory capacity in mines including granite quarries, or
    - (iii) Diploma in Mining with First Class Metalliferous Mines Manager's Certificate or Diploma in Mining with three year's experience in supervisory capacity in mines including granite quarries, or
    - (iv) First Class Metalliferous Mines Manager's Certificate with minimum two years' experience of working in mines including granite quarries after obtaining the certificate.
      - (b) in the case of a granite quarry lease other than the mechanised granite quarry lease, -
        - (i) a part time mining engineer possessing qualification as prescribed under clause (a) above; or
        - (ii) a part time mining engineer, possessing a post graduate degree in geology or Second Class Metalliferous Mines Manager's Certificate, or
        - (iii) a whole time mining engineer possessing Secondary School Leaving Certificate and Mine Foreman Certificate with minimum five years' experience of working as Mines Foreman or Mate in mines including granite quarries.

Explanation - For the purpose of this sub-rule, mechanised granite quarry means a granite quarry where machine capable of deep drilling is deployed or heavy machinery for

excavation, handling or lifting or transporting of overburden and granite blocks is deployed.

(2). A part time mining engineer possessing qualifications prescribed in sub clause (i) of clause (a) of sub rule (1) may be employed to supervise upto a maximum of six granite quarries provided that all such granite quarries are located within a radius of fifty kilometers:

Provided that a person possessing the qualifications other than those prescribed in sub clause (i) of clause (a) of sub rule (1) may be employed as part time mining engineer in quarries upto a maximum of three granite quarries provided that such quarries are located within a radius of fifty kilometers.

- 39. Duties of mining engineer.- (1) It shall be the duty of the mining engineer to take all necessary steps to plan and conduct mining operations, so as to ensure conservation of granite, systematic development of the granite deposits and protection of environment in and around the granite quarry lease area in accordance with these rules.
  - (2) He shall be responsible for the preparation and maintenance of plans, section, reports and schemes in accordance with these rules.
  - (3) He shall carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the State Government or any person authorised in this behalf by that Government and shall forward a copy of each of such orders of directions to the holder of prospecting licence or, as the case may be, the granite quarry lease.
- 40. Supply of materials, appliances and facilities.-(1) The mining engineer shall ensure that there is sufficient provision of proper materials, appliances and facilities at all times at granite quarry for the purpose of carrying out the provisions of these rules and orders issued thereunder and where he is not the owner or agent of the granite quarry, he shall make requisition in writing to the owner or agent for anything required for the aforesaid purpose. A copy of every such requisition shall be recorded in bound paged book kept for the purpose.
  - (2) On receipt of a requisition under sub-rule(1), the owner or agent shall provide as soon as possible the materials and facilities requisitioned by the mining engineer

#### CHAPTER VIII

#### NOTICES AND RETURNS

- 41. Quarterly and annual returns.— The owner, agent, mining engineer or manager of every granite quarry shall submit to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government and the Controller General of Indian Bureau of Mines returns in respect of such granite quarry within the time specified in respect of such returns, namely:-
  - (a) a quarterly return in Form F for every quarter ending 30<sup>th</sup> June, 30<sup>th</sup> September, 31<sup>st</sup> December or 31<sup>st</sup> March before the 15<sup>th</sup> of the following month for the preceding quarter;
  - (b) an annual return in Form-G which shall be submitted before the 1st July of each year for the preceding year:

Provided that in case of abandonment or surrender of a granite quarry, such annual return shall be submitted within ninety days of the date of abandonment or surrender.

- 42. Notice of certain appointments.— When any new appointment is made of an agent, mining engineer, geologist and manager for the purpose of these rules or when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment or when any change occurs in the address of any such person, the owner of the granite quarry or the holder of the prospecting licence, relating to such appointment, termination, living or change in address shall, within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving or change in address, give a notice in Form-H to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government.
- 43. Records of boreholes.- The owner, agent, mining engineer, geologist or manager of every granite quarry or the holder of a prospecting licence shall keep a record of all boreholes in Form-I and shall retain all records and samples of the strata passed through. He shall not destroy such records of boreholes and samples of strata except with the prior approval of the State Government or any person so authorised on this behalf.
- 44. Transfer of records of transferees. When the ownership of a prospecting licence or a granite quarry lease is transferred, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within a period of seven days of the transfer of the ownership, borehole cores preserved if any, all plans, sections, reports, registers and other records maintained in pursuance of the Act, rules or orders made thereunder, and all correspondence relevant thereto relating to the prospecting licence or granite quarry lease; and when the requirements of these rules have been duly complied with, both previous and the new owners or their respective agents shall forthwith send to the State

Government or any person authorised in this behalf by that Government a detailed list of borehole cores, plans, sections, reports, registers and other records that have been transferred.

45. Copies of notices and returns to be maintained. The owner, agent, mining engineer or manager of every granite quarry or a holder of a prospecting licence shall maintain the labour attendance register, production and despatch register, explosives consumption register, test reports and details of mining machinery and copies of all notices and returns, plans, sections and schemes submitted to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government under these rules, at an office established by the licensee or lessee and these shall be made available at all reasonable times to the State Government or any person authorised in this behalf by that Government for inspection.

# CHAPTER IX REVISION AND PENALTY

46. Revision.- (1) Any person aggrieved by any order made or direction issued by any person authorised by the State Government to make or issue such order or direction under these rules may within ninety days of the communication of such order apply to the State Government for revision of the said order

Provided that any such application may be entertained after the said period of ninety days if the applicant satisfies the State Government that he had sufficient cause for not making the application within time.

(2) Every order against which a revision application is preferred under subrule (1) shall be complied with pending the decision of the State Government in such revision

Provided that the State Government may on an application by the applicant, suspend the operation of the order appealed against pending disposal of the revision application

- (3) On receipt of an application for revision under sub-rule (1), the State Government after giving a reasonable opportunity of being heard to the aggrieved person, may confirm, modify or set aside the order or direction.
- (4) Every application submitted under the provisions of this rule shall be accompanied by a Treasury Receipt showing that a fee of five hundred rupees has been paid into a State Government Treasury or any branch of the State Bank of India doing Treasury Business to the credit of the State Government
- 47. Penalty.- Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both and in the case of continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention

#### CHAPTER X

#### **MISCELLANEOUS**

- 48. Facilities for undertaking research or training. Every holder of a prospecting licence or a lease shall afford all reasonable facilities to persons authorised by the Central Government or the State Government for the purpose of undertaking research or training in matters relating to mining or geology.
- 49. Territorial jurisdiction.- The territorial jurisdiction of a person authorised by the Central Government or the State Government for the purpose of these rules shall be as notified by the Central Government or the State Government, as the case may be, in the Official Gazette from time to time.
- 50. Obligation to supply other information.— The owner, agent, mining engineer, geologist or manager of every granite quarry shall furnish such information regarding such quarry or any matter connected therewith as the Central Government or the State Government or any person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government, as the case may be, may require by an order in writing and the information shall be furnished within such time as may be specified in the aforesaid order.
- 51. Provisions of these rules to be applicable to Government.- The Government or its agencies carrying out mining operations without a lease shall be bound by all the provisions of these rules in the same manner as they are applicable to holders of granite quarry leases.
- 52. Applicability of the provisions of Minor Mineral Concession Rules framed by the State Government.—The provisions of the Minor Mineral Concession Rules or any other rules framed by the State Government under section 15 of the Act shall be applicable to granite quarry leases to the extent they are not repugnant to or inconsistent with these rules.
- 53. Delegation of powers.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under these rules may, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.

#### SCHEDULE

### FORM -A

(Yearly Report of Prospecting Operations carried out) (See rule 11(1) and 11 (2))

#### IMPORTANT

This report duly filled in must reach the concerned authorities by 30th April for the previous year or within 30 days from the date of abandonment or within three months after the expiry of prospecting licence or completion of prospecting operations, whichever is earlier.			To 1 State Government concerned or any person so authorised under rule 49 2.Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur
I.		of the granite for which prosp ions has been granted	pecting : (a) (b)
2.	Name	and address of the licencee	:
3.	Partic	ulars of the prospecting licen	icçe :
	(i) (li) (iii) (iv)	Date of execution Period: Years   Area under licence: No. and date assigned by to Prospecting Licencee.	
4.	Locati	on of the prospecting licence	od area :
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	Cadas Villag Post C Neare:	Sheet Number: trai Survey or Khasra Numbe e: Taluka/ Office: st railway station: st Rest House/Dak Bungatov	Tehsil: District : State .  Police Station: Distance:
5,	Partice licenc	ulars of the Geologist or mir ed area:	ning Engineer employed optionally, if any, for the prospecting
	(i)	Name and address	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(ii)	Qualification	;
	(iii) (iv)	Date of appointment Status of employment:	: Whole time ; Part time ;
6.	picase	of Prospecting Operation: tick mark one of the boxes ever is applicable	In Progress: Completed: Abandoned:
7.	Total	Surface area covered by pros	specting work (hectare):

8.

8.	Prospecting work completed during the year:										
	a.	Gcologi	lcal map	ping :	Area in Ho	ctare	:	Scale :			
	b.	Pitting	(i) (ii) (iii)	No. of Grid Pi Depth Maxim Minim	nttern (Mis.) Avern ium	gc	: : :				
	<b>c</b>	Trenchi	ing	(i) (ii)	No. of trer Length (M Maximum Minimum	lts) Av		rval) : .; .; .;			
•	d.	No. and	i size of	samples	:						
	¢.	Drilling	3:								
		(i)	No. of	borehole	s completed	during	the year	(with size of core);			
		(ii)	No. of	borchole	s in progress	i :					
		(iii) Total yearly drilling (Mts.):									
	f.	Particulars of drilling machines Type Make Capacity No. of drills									
	8.	Details	of samp	les tested	f:						
		(i) (ii) (Testin	Comp	samples iete repor tability a		requir	ement)				
Place Date							Signati Name I Design	in full :			

Note: Please enclose a geological report describing the prospecting operations undertaken so far accompanied by the detailed geological plans and sections showing structural details such as joints, fractures, folds, faults, grain size, texture etc. and also showing locations of (a) bore holes, (b) pits, (c) trenches (d) sample positions etc. The report shall also contain the bore hole logs and the inferences drawn as a result of the study of the geology of the area and the interpretation of the bore hole cores, pits, trenches, reserves of granite and complete report of at least two representative samples indicating stone quality and suitability as per market requirements and the blocks proposed for mining operations.

#### FORM-B

(Notice of Intimation of Opening of Mine/Quarry)

(See rule 23)

#### IMPORTANT

11.

Particulars of Agent :

Notices in this form shall reach the concerned authorities within 15 days of the date of opening of the quarry or within 90 days intimate existence of a quarry, as the case may be.

To

- 1.State Government concerned or any person so authorised under Rule 49
- of coming into force of these rules to 2. Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur, (i) Name of granite worked: 1. (ii) Name of other mineral(s) worked, if any .: 2. Name of the quarry/mine: 3. Date of opening of quarry/mine: 4. Letter No. and Date through which the mining plan was approved: (Specify Authority) 5. Name and address of the Lessee/Owner: 6. Ownership of the quarry: Public sector a. Joint Sector Ъ. Private Sector (In case of Joint sector, specify percentage share of each company) In case the lessee is a Company or a Partnership firm or Co-operative, indicate name and address of the Director-in-Charge and the Registered office : 8. Particulars of Quarry/Mining Lease (ML) : Date of execution (i) Period: (ii) Years From: 10 (iii) Area under licence Hectures 9. Location of the lease: Topo Sheet Number: (ii) Cudastral Survey or Khasm Number: (iii) Village: Taluka/Tchsil: District: State: Post Office: (iv) Police Station: (v) Nearest rallway station: Distance: Nearest Rest House/Dak Bungalow: (vi) 10. Name and address of previous owner, if any, and the date of abandonment:

~	a.	Name and address:	
	<b>b</b> .	Date of appointment :	
12.	Parlicu	lars of Mining Engineer:	
	a. b. c. d.	Name and address: Qualifications: Date of appointment: Status of employment: Whole time:	Part time :
13.	Particu	lars of manager :	
	a. b.	Namo and Address: Date of appointment:	
Place : Date : Engine		ger	Signature: Name in full: Designation:Owner/Agent/Mining
	(Notice	of Intention of Abandonment/Surr	ORM-C ender of Mine/Quarry or part of the Mine/Quarry) 4(2) and rule 24(4)
		-	MINE/QUARRY CODE:
Notice regist surres	ered cove nder is di lessee, t	Form shall be sent undar ar. If the abandonment/ ue to reasons beyond the control his notice shall be sent within 15 bandonment/surrender.	To, State Government concerned or any person so authorised under rule 49.
1.	(i) (li)	Type of the granite worked: Name of other mineral(s) worked	d, if any :
2.	Name	e of the mine quarry :	
3.	Name	and Address of the Lessee/Owner	:
4.	Partie	culars of Mining/Quarry Lease(QM	L):
	(i) (ii) (ili)	Date of execution: Period: year Area under lease	

5,	Locati	on of Quarry/Mine			
	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	Topo Sheet Number: Cadastral Survey of Khas Village: Post Office: Nearest railway station: Nearest Rest House/Dak	Taluka/Tehsil: Police Station:	District :Sta	te :
6.	Name	and Address of Agent:			
7.		ulars of Mining Engineer me and Address:			
	(b) Qu	ialifications:			
8.	Date t	by which mining operations	are to be abandone	ed or mine to be surren	dered.
9.	Exhau Uneco Land : Other	ns for abandonment/surrend istion of granite: bnomic operations: slide: calamity (specify): te tick whichever is applicati		Lack of Demand: Non availability of the Flooding of quarry: Other reasons (specif	
10.	If the	e abandonment is due to rity/Tribunal/Court for aband	natural calamiti doning mining op	es or order/directions erations the date of sucl	issued by any statutory habanadonment.
11.	Reser	ves of the mineral	<b>a</b> )	Proved:	
	prove	d in the area.	b) c)	Probable: Possible:	
12,	Total	production of the mineral	since first opening	ng of quarry/mine:	
13.	Comp	oer of workers employed in t nany Labour (Direct) act Labour	he Quarry :	Malc	Female
Place: Date :				in fult:	ining Engineer/Manager
Note:	l. infor	in cases where part of th mation relating only to such par			
	2.	Please enclose plans/sec (1centimeter = 10 mer the time of submission abandoned/surrendered	ers) indicating ac of this notice in	curately the work do icluding measures env	ne in the quarry upto visaged for protection of

#### FORM-D

# (Notice of Temporary Dis-continuance of Quarry/Mine)

(Sec rule 25)

				MINE/QUARRY CODE
IMPOI	RTANT			
so as to authori days of	reach tles mei tempor	Form shall be sent the concurned ntioned within 75 ary discontinuance exceeding 60 days.		To,  1. State Government concerned or any person so authorised under rule 49.  2. Controller General, Indian Burnen of Mines, Nagpur
1.	(i) (ii)	Type of the granite worke Name of other mineral(s)		
2.	Name	of the mine quarry:		
<b>3</b> . ·	Name	and Address of the Lessee/C	Owner:	
4.	Partic	ulars of quarry/mine Lease:		
	(i) (ii) (iii)	Date of execution: Period: Area under lease	years from :	to : ctares
<b>5</b> .	Locati	on of Quarry/Mine		
	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	Topo Sheet Number: Cadastral Survey of Khas Village: Post Office: Nearest railway station: Nearest Rest House/Dak	Taluka/Tehsil Police Station	
6.	Name	and Address of Agent:		
7.	Name	and Address of the Mining I	Engineer:	
8.	Reaso	ns for discontinuance :		
	Non a Rains Transp Strike Lock of Opera Other		: : : : : :	
9.		of discontinuance of mining	operation:	
10.	Probai	ble date of reopening :		
Place: Date:				nture:  in full: pation:Owner/Agent/Mining Engineer/Manager

FORM-E
(Notice of Intimation of Reopening of Quarry/Mine)

(See rule 26)

		MINE/QUARRY CODE:
IMPOR	TANT	
concern	n this Form shall reach the ed authorities within of the date of reopening uarry.	To.  1. State Government concerned or any person so authorised under rule 49 2. Controller General, Indian Buracu of Mines, Nagpur
1.	(i) Type of the granite worked: (ii) Name: of other mineral(s) worked,	if any :
2.	Name of the quarry/mine:	
3.	Name and address of the Lessee/Owner.	
4.	Particulars of Quarry/Mining Lease(QML)	
	(i) Date of execution: (ii) Period: years for the difference of th	
5.	Lecation of Quarry/Mine	
	(141) 1 1 1 1 1 De 1	/Tehsil: District: State: Station: Distance:
6,	Name and Address of Agent:	
7.	Name and Address of the Mining Engineer	· ;
8.	Date on which the quarry/mine was	
	a) Abandoned : b) Discontinued :	
9.	Date of reopening:	
Place: Date:		Signature: Name in full: Designation: Owner/Agent/Mining Engineer/Manager

#### FORM-F OUARTERLY RETURN

	QUAR	RTERLY RETURN		
		MINE/QUARRY	CODE:	
	Į:	Sec rule 41 (a)]	•	
	For the Q	uarter ending19		
(i) (ii)	Type of the granite worked: Name(s) of other mineral(s), if any.:			
		person so aut	nent concerned or any horised under rule 49 neral, Indian Bureau pur	
1.	Name and Location of the Quarry/mit	ne		
	Name of quarry/mine : Village : Post Office :	Taluka/Tehsil :	District :	State :
2.	Name and Address of lessec/quarry of Name : Address :	wiler:		•
3.	Date of execution of lease granted and	d date of expiry.:		
4.	Year of starting mine:			
<b>5</b> .	Area in hect.;			
6.	No. of days the quarry worked during	g the month:		
7.	Labour Employment:	Male	Female	
	a) Average daily employment: b) Wages(Rs.)			
8.	Types of Granite (Colour etc.) produc	ced:		
9.	Production, Despatches, Stocks and I	Pit's Mouth Value of Ra	w Sizes Blocks (Unit	: Cu.m):
Items	Total		Size-wise b	oreak up
a)	Opening Stock	<del>-,</del>	<del></del>	<del></del>
b)	Production			
c)	Despatches (i) Direct Exports (ii) Domestic sale			
d)	Closing stock			
, <b>c</b> )	Pit's Mouth Value (Rs.)			

		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec.	3
10.	Reserv	res (Proved, probable, possible) lasita and recoverable :	=
11.	Details	s of processing activity undertaken by the lessee, if may:	
12.	Wheth	er capative mine of 100% Export Oriented Unit or not	
13.	Produc	etton :	
	i)	During the month of.: quantity (in MT.) and Cubic Metres.:	
	ii)	Cumulative production during the current financial year upto the month of ; quantity (In MT.) and Cubic Metres.:	
14.	Expon	t of Dimensional Blocks :	
	i)	During the month of: quantity (in MT.) value (in Rs.).:	
	ii)	Cumulative during the current financial year upto the month of.: quantity (in MT.).: value (in Rs.).:	
15.	Expor	t of processed products :	
	i) ii)	During the month of: value (in Rs.).; Cumulative during the current financial year upto the month of (in Rs.).;	
16.	Dome	stic Sale of Dimensional Blocks/processed products:	
	i) ii)	During the month of.: value (in Rs.).:  Cumulative during the current financial year upto the month of: Value (in Rs.).:	
17. preced	Reaso ling mon	ons for increase/decrease in production during the current month as compared to the th:	
I cert	ify that th	he information furnished above is correct and complete in all respects.	

Place: Date:

Signature: Name in full: Designation:Owner/Agent/Mining Engineer/Manager

Average daily employment is obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days. Note:

### FORM-G: ANNUAL RETURN

(See rule 41(b).

MINE	/OII	ARRV	CODE	
IATELAT	<i>,</i> $\vee \circ$	$\alpha \alpha \alpha$		

(For the year 1st April 19., to 31st. March 19.,)

(To	be	submitted	before	lsi July cac	h year for	the	preceding year or	within 90	days of the	date of
abar	ıdor	iment /surr	ender)							

	i) ii)	Type of the granite Name(s) of other m	worked : ineral (s), if any	
		,	so 2.Co	te Government concerned or any person authorised under rule 49 ntroller General, Indian Bureau of Mines, gpur
1.	Name	and Location of the qu	uarry/mine :	
	villag	of mine/quarry : e : a/Telisil :	District :	Post Office : State:
2.	Name	and Address of leasee	/mine/quarry owner:	
3.	Area	Details in hectares: d (years):		Date of Execution :
4.	No. o	f days the quarry/mine	worked during the ye	ear:
5.	due to non-a dema	ate reason(s) for work to strike, lockout, mone wailability of labour, lond etc. and number of stoppage for each of the	oon, ess days of	Reasons No.of days
6.	Empl	loyment of Qualified P	ersonnel and Labour	:
6.1	Num	ber of technical and su	pervisory staff:	·
Desci	ription	,	Weather employed	Partly employed
b. Di c. Ge d. Ot	ploma M ologist her admi	lining Engineer Ending Engineer nistrative, clerical nical supervisory staff		

6.2 Salary paid to technical and supervisory Staff (Rs.)

Production, Despatches, Stocks and F	Pit's Mouth Value:	
Production of Raw sizes blocks during	ig the year (Unit :Cu.M)	
Total	Size-	wise break up
ng Stock		
(i) Direct Exports		
Mouth Value (Rs.)		
Cumulative Production : (since opening of quarry in Cu.M)		
Waste and Rejects (Unit : Cu.M.)		
	During the year	Cumulative total
ated as overburden fitty of waste generated fitty of waste generated fitty of waste generated as fitty of waste generated as fitty of waste generated as fitty of waste and dressing rejects fitches of waste and rejects fordance with above classification)		
Mining Machinery used during the y	car	
Machinery No. of units	Engine Horse Power o	No. of hours worked
Ctd ( ( UV - 1	ing Stock stion ches (i) Direct Exports (ii) Domestic sale g stock fouth Value (Rs.)  Cumulative Production: (since opening of quarry in Cu.M)  Waste and Rejects (Unit: Cu.M.)  If ity of waste inted as overburden ity of waste generated intal to mining or raw blocks ity of waste generated as ad blocks and dressing rejects itches of waste and rejects cordance with above classification)  Mining Machinery used during the y	ng Stock fition ches (i) Direct Exports (ii) Domestic sale g stock fouth Value (Rs.)  Cumulative Production: (since opening of quarry in Cu.M.)  Waste and Rejects (Unit: Cu.M.)  During the year  ity of waste ned as overburden ity of waste generated neal to mining or raw blocks ity of waste generated as ad blocks and dressing rejects neches of waste and rejects cordance with above classification)  Mining Machinery used during the year.  Machinery No. of units Engine Horse Power of each unit

-खण्ड	3(i)]		भारत का राजपत्र : असाधारण	<u></u>		
a) c) e)	Safety Fuse (Metres):		b) Detonator (Nos.): d) Detonating Fuse (No. of coils)			
10.	Quanti	ty and Cost of nunterial	consumed during the year Quantity	Cost (Rs.)		
	(i) (ii) (iii) (iv)	Fuel (Lt.) Electricity(KWH): Explosives Other Materials				
11.	Specification on fixed assets (Rs.):					
12.	Other expenses such as over-heads, maintenance, etc. (Rs.):					
13.	Amount of Rent and Royalty paid (Rs.):					
14.	Annual production (last 3 years) (Quantity in M.Tonnes and in cubic metres):					
15.	Exports (last 3 years) (Separately for dimensional blocks in tonnage and value and for processed products in tonnage and value):					

current year as compared to the preceding year:

Reasons for increase/decrease in production during the

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Name and Signature of Date : Owner/Agent/Mining Engineer/Manager

#### Note:

16.

- In case there is stoppage of work, indicate reasons for work stoppage and number of days of work (a) stoppage.
- Average daily employment is obtained by dividing the number of man days worked by the (b) number of working days.
- (c) Wage includes all cash payments including bonuses, Employers' contributions to provident funds, welfare activities etc. Concessions in kind should not be included in wages.
- The Pit's Mouth Value should represent the sale value of the granite at the pit head. In case of 4) sales effected on F.O.R. or F.O.B. or any other basis, pit head sale value should be arrived at after deducting all the expenses incurred from quarry/mine to railway station or port or other point of sale, as the case may be (such as expenses on transportation, londing and unloading charges, railway freight, sampling and analysis, port handling, export duty and cess ).

#### FORM-H

#### (Notice of certain Appointment/Resignation/Termination/Change of Address) (See rule 42)

		MINE/QUARRY CCDE					
IMPO	RTANT						
the condays from terms or terms resignate.	in this Form shall be given cerned authorities within to om the date of new appoints mination from employment ation or change of addres Mining Engineer/Geologist/	5 nent or is	To, State Government concerned or any person so authorised under rule 49				
1.	Name and address of the Lessee/Prospecting Licenceo:						
2.	Name of granite for which Mine/Quarry Lease/Prospecting Licence is granted :						
3.	Name of Lease/Prospecting Licenced area:						
4.	Location of Lease/Prospecting Licenced area:						
5.		Taluka/Tehsil: Police Station; 1; ak Bungalow; cting Licence (Hectare)	Dist. Distance:	State:			
	(ii) Perlod:	Years from: y Lease/prospecting lice	to nce (Hectare)	•			
6.	Please indicate whether notice is given in respect of?						
	(i) New appointment (ii) Resignation/termi (iii) Change of addres (Strike out whichever is no	nation of employment s	: ;				

- 7. In case of appointment of Agent/Mining Engineer/Geologist Manager, please indicate
  - Name: (i)
  - Designation: (ii)
  - Address: (iii)
  - (iv) Qualifications:
  - University/Institution from which passed: (v)
  - (vi) Date of appointment:
- 8. If the appointment is that of a Mining Engineer or a Geologist, please indiacte
  - Whether appointment is Whole time: (i) Part time : (Please tick mark whichever is applicable)

- (ii) Names, locations and ownership of all other Quarrys/prospecting licence which he will supervise.
- 9. In case of resignation/termination of employment of Agent/Mining Engineer/Geologist/ Manage, please indicate:
  - Name: (i)
  - (ii) Designation:
  - (iii) Date of resignation/termination of employment:

(In case the vacancy so created has been filled in please furnish the particulars of the same in columns 6 and 7).

- In case of change of address of the Lessee/Agent/Mining Engineer/Geologist/Munnyer, please 10. indicate:
  - (i) Name:
  - (ii) Designation:
  - Present address: (iii)
  - (iv) Date of change of address:

Place	;
Date	:

Signature :

Name in full:

Designation: Owner/Licencee

#### FORM-I

(Particulars to be recorded in a durable bound paged book in respect of each hore hole/pit)

(Seel rule 43)

- ì. Type of the granite for which license or lease is granted :
- 2. Name and address of the Lessee/Licensee:
- 3. Name of the mine/quarry/prospect:
- 4. Location of Lease/Prospecting Licenced area:
  - (i) Topo Sheet Number:
  - (li) Cadastral Survey or Khasra Number:

(iii) Village:

Taluka/Tehsil: Police Station: Dist: State:

(iv) Post Office: (v) Nearest railway station:

Distance:

- (vi) Nearest Rest House/Dak Bungalow:
- 5. \*Type and make of the drill and size of core :
- 6. Bore hole/pit number and its location:
  - (a) Reduced levels at the collar of the borehole/pit
  - (b) Inclination and bearing of the hole.
  - Altitude of the formation (¢)

		<b></b>		************		
7.		ion of drilling/pitting ate of commencement :	(b) Date of completion:			
8,	Total	length of the hole/pit:				
9.	Purpose of drilling/pitting:					
10.	Total operating expenditure incurred (Rs.):					
11.	Details of intersection (as given below)					
	a. b. c. d. e.	Run Details  From (Mt.): Width (Mt.): Size of core/pit Percentage recovery of core Lithology Details of test carried out: (indicate physical properties and	To (Mt.): True Width (Mt.): d stone quality)			
Piace :			Signature : Name in full : Designation:Owner/Agent/Mining Enginee	r/Manager		

[No. 1/1/99-M. VI] S. P. GUPTA, It. Secy.